



यं रत्नशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक: 13319 / अका. / का.प. / 2014

रायपुर, दिनांक : 04 / 02 / 2014

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी, 2014 को अपराह्न 3.00 बजे

आयोजित बैठक की विषयसूची

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 17.12.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (पृ.क्र. 01 से 06 तक)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 17.12.2013 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.01.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र. 07 से 09 तक)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
04. छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रु. 9,24,550.00 भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना। (पृ.क्र. 10)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
05. सत्र 2009–10 में मुद्रित कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण की बचत राशि रु. 6,58,660.00 के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 11 से 12 तक)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
06. विश्वविद्यालय स्थापना के 50वीं वर्षगांठ पर विश्वविद्यालय के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों को प्रदाय किये जाने हेतु स्मृति चिन्ह के स्वरूप का निर्धारण के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 13)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
07. वाहन चालकों को मोबाइल भत्ता प्रदाय करने के संबंध में राज्य शासन के आदेश क्रमांक 275/एफ–2013–02–00144/वित्त/नियम/चार रायपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2013 को अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 14 से 16 तक)
टीप: कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

08. नोबल पुरस्कार विजेता, प्रो. रॉबर्ट ह्यूबर की यात्रा देयक एवं व्याख्यान हेतु स्वीकृत राशि रु. 208055=00 का सूचना ग्रहण करना।

टीप : नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर, Robert Huber (Max Plank Institute for Biochemistry, Martinsried, Germany) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में दिनांक 24 फरवरी, 2014 शाम से 27 फरवरी 2014 तक में आने की स्वीकृति प्रदान किया है। इस दौरान विश्वविद्यालय में उनका व्याख्यान, छात्र-छात्राओं तथा शिक्षकों के साथ चर्चा, व प्रयोगशाला भ्रमण प्रस्तावित है। इनका कुल यात्रा व्यय (Business Class Air Faire) रु. 3,76110=00 है। इस राशि का आधा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, रायपुर द्वारा वहन किया जायेगा, शेष आधी राशि रु. 188055 + रु. 20000 प्रोग्राम एवं व्यवस्था के लिए कुल रु. 208055 स्वीकृत किया गया है की सूचना ग्रहण करना।

09. विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क के वार्षिक रख-रखाव हेतु मेसर्स Key Computers Nagpur को कार्यादेश जारी के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 17)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

10. भिलाई मैत्री महाविद्यालय, रिसाली सेक्टर, भिलाई, जिला-दुर्ग में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

टीप : प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा पटल पर रखी जाएगी।

11. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।




कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 13320 / अका. / का.प. / 2014

रायपुर, दिनांक : 04 / 02 / 2014

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक / प्रभारी अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रभारी अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

50

क्रमांक/१२३८८/अका./2013

रायपुर, दिनांक 30 / 12 / 2013

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक मंगलवार, दिनांक 17.12.2013 को अपराह्न 3:00 बजे
कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए—

1. डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. प्रो.एस.के. शर्मा	—	सदस्य
3. प्रो. ए.के. गुप्ता	—	सदस्य
4. प्रो. बी.के. शर्मा	—	सदस्य
5. प्रो. मिताश्री मित्रा	—	सदस्य
6. डॉ. दीपक कारकून	—	सदस्य
7. डॉ. अरविंद गिरोलकर	—	सदस्य
8. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	—	सदस्य
9. डॉ. एम.आई. मेमन	—	सदस्य
10. श्री एस.के. चक्रवर्ती	—	सदस्य
11. डॉ. जी.बी. गुप्ता	—	सदस्य
12. श्री ललित सुरजन	—	सदस्य
13. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त :

विषय क्रमांक : 1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.10.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.10.2013 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्रमांक : 2

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.10.2013 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.10.2013 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन निम्नलिखित निर्णय के साथ सूचना ग्रहण की गई :

- कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 03.07.2010 में लिए गए निर्णयानुसार आफसेट प्रिंटिंग मशीन क्रय की कार्यवाही किया जावे।
- बैठक दिनांक 07.08.2010 अध्यक्ष की अनुमति से विषय क्रमांक-4 में निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय में भी जल संवर्धन तथा वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए बजट से चार-पांच भवन चिन्हित कर ली जावे। तत्संबंध में निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय परिसर में

बॉटर हार्डिस्टिंग की दृष्टि से जो क्षेत्र पानी के भंडारण के लिए उपयुक्त है, उसका चयन करते हुए तालाब निर्माण किया जावे।

3. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.02.2011 पूरकसूची विषय क्रमांक-7 में डिजिटल प्रिंटिंग मशीन कथ किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिस पर पुनः विचार किया गया कि यह मशीन गोपनीय विभाग के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, अतएव इस पर कार्यवाही नहीं की गई। अतः निर्णय निरस्त किया जाता है।

विषय क्रमांक : 3

मुख्य परीक्षा 2014 के लिये परीक्षा केन्द्रों की सूची बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड./एम.पी.एड. पाठ्यक्रम 2014 के लिये निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की सूची सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर) सत्र 2013–14 के लिए परीक्षा केन्द्रों की संशोधित सूची कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : मुख्य परीक्षा 2014 के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड./एम.पी.एड. पाठ्यक्रम 2014 के लिये निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की सूची, सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर) सत्र 2013–14 के लिए परीक्षा केन्द्रों की संशोधित सूची की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक : 4

पुस्तक कथ हेतु 25,03,304/- रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : 12वीं पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान राशि में से पुस्तक, शोध—पत्रिका कथ हेतु रुपये 25,03,304.00 की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक : 5

NCNR प्रोजेक्ट हेतु रु. 20,000/- इम्प्रेस्ट राशि की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : NCNR प्रोजेक्ट हेतु रुपये 20,000.00 (रुपये बीस हजार मात्र) इम्प्रेस्ट राशि की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक : 6

डॉ. बी.कामेश्वर राव, आचार्य, स्वामी विवेकानंद स्मृति तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योग अध्ययनशाला के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन दिनांक 05.09.2013 पर विचार करना।

निर्णय : डॉ. बी.कामेश्वर राव, आचार्य, स्वामी विवेकानंद स्मृति तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योग अध्ययनशाला के द्वारा दिनांक 31.12.2013 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन दिनांक 05.09.2013 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01.11.2013 को प्राप्त प्रपत्र 28 को स्वीकार करते हुए दिनांक 31.12.2013 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक : 7

विश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2013 से 80 प्रतिशत के स्थान पर पेंशन/परिवार पेंशन का 90 प्रतिशत महंगाई राहत की दर, छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अनुरूप प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2013 से 80 प्रतिशत के स्थान पर पेंशन/परिवार पेंशन का 90 प्रतिशत महंगाई राहत दर छत्तीसगढ़ शासन के अनुरूप प्रदान करने हेतु अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक : 8

पी—एच.डी. शोध—प्रबंधों की डिजिटाईजेशन कार्य के लिए राशि रुपये 8.00 लाख की सक्षम प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय : पी—एच.डी. शोध—प्रबंधों के डिजिटाईजेशन कार्य के लिए राशि रुपये 8.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक : 9

भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सेन्ट्रल जोन के कुलपतियों की आयोजित बैठक दिनांक 04 एवं 05 दिसंबर, 2013 में कार्यपरिषद् की ओर से कुलपति द्वारा स्वीकृत अनुमानित व्यय राशि रुपये 10,60,000.00 (रुपए दस लाख साठ हजार मात्र) सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सेन्ट्रल जोन के कुलपतियों की आयोजित बैठक दिनांक 4—5 दिसंबर, 2013 के लिए कार्यपरिषद् की ओर से कुलपति द्वारा स्वीकृत अनुमानित बजट राशि रुपये 10,60,000.00 (रुपए दस लाख साठ हजार मात्र) की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदान/वित्तीय सहायता के उपरांत विश्वविद्यालय की ओर से जो व्यय होगा, उसकी स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय :

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.12.2013 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.12.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

2. वार्षिक परीक्षा 2013—14 के नियमित एवं अम्हाविद्यालयीन परीक्षा आवेदन फार्म मुद्रण कार्य का देयक राशि रु. 43,30,000.00 (रुपये तिरालीस लाख तीस हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : वार्षिक परीक्षा 2013–14 के नियमित एवं अमहाविद्यालयीन परीक्षा आवेदन फार्म मुद्रण कार्य का देयक राशि रूपए 43,30,000.00 (रूपए तिरालीस लाख तीस हजार मात्र) की स्थीकृति प्रदान की गई।

3. विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को पारिश्रमिक तय सीमा राशि रूपये 30,000/- से मुक्त रखने पर विचार करना।

निर्णय : हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र विषय के साथ-साथ कम्प्युटर विषय में शिक्षकों की कमी है। अतः विशेष प्रकरण मान्य करते हुए उक्त विषयों के लिए प्रत्येक सत्र में प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के प्रश्नपत्र रचना एवं मूल्यांकन के पारिश्रमिक की गणना अलग-अलग करते हुए प्रत्येक के लिए अधिकतम पारिश्रमिक रूपए 35,000.00 (रूपए पैंतीस हजार) करने हेतु अनुमोदन किया गया। इसके साथ-साथ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा में निर्णय करने हेतु कुलपति को अधिकृत करने संबंधी प्रस्ताव समन्वय समिति में भेजी जावे।

4. स्नातक प्रथम वर्ष परीक्षा की आवेदन फार्म को ऑनलाईन के माध्यम से भराये जाने के संबंध में गेटवे पेमेंट हेतु Bill Desk से अनुबंध किये जाने की जानकारी सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : स्नातक प्रथम वर्ष परीक्षा की आवेदन फार्म को ऑनलाईन के माध्यम से भराये जाने हेतु Bill Desk से गेटवे पेमेंट के लिए अनुबंध किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रथमतः अनुबंध 03 वर्ष के लिए किया जावे तथा कार्य संतोषजनक होने पर दोनों पक्षों की सहमति से एक-एक वर्ष वृद्धि करते हुए अधिकतम पांच वर्षों तक अनुबंध जारी रखा जावे।

5. Indian Institute of Public Administration, New Delhi (IIPA) एवं India International Centre, New Delhi (IIC) से संस्थागत सदस्यता के लिए आवेदन करने हेतु स्थीकृति प्रदान की गई।

6. कार्यपरिषद् के समक्ष डॉ. जीवन यदु 'राही', प्राध्यापक, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ द्वारा रचित कुलगीत के लिए इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ द्वारा बनाई गई ध्वन (Music) प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

7. कुलपति द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला द्वारा "नागर्जुन दर्शन" (Philosophy of Nagarjuna) विषय पर दिनांक 13–15 जनवरी, 2014 को राष्ट्रीय सेमीनार आयोजित है, जिसके मुख्य अतिथि, नोबल पुरस्कार से सम्मानित धर्मगुरु दलाई लामा होंगे। सेमीनार में Central University of Tibbaten Sarnath से रु. 3,00,000.00 (रूपए तीन लाख) एवं छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड से रूपए 4,00,000.00 (रूपए चार लाख) वित्तीय सहायता प्राप्त होगा। पूरे कार्यक्रम में अनुमानित व्यय रु. 9,00,000.00 (रूपए नौ लाख) होगा। स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम


पर सभी सदस्यों द्वारा विचारित किया गया कि नोबल पुरस्कार से सम्मानित धर्मगुरु दलाई लामा की उपस्थिति विश्वविद्यालय के छात्रों/शिक्षकों के साथ—साथ छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि एवं गर्व का विषय है। कार्यपरिषद् के द्वारा सेमीनार के लिए अनुमानित व्यय राशि रुपए 9,00,000.00 (रुपए नौ लाख) का अनुमोदन किया गया।

8. International Accreditation Organization IAO के द्वारा जनवरी में प्रस्तावित दौरा की सूचना ग्रहण की गई।
9. कार्यपरिषद् के सदस्य सर्वश्री ललित सुरजन एवं डॉ.जी.बी. गुप्ता का कार्यकाल दिनांक 23.12.2013 को समाप्त हो रहा है। कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों द्वारा कार्यपरिषद् सदस्य के रूप में उनके योगदान की सराहना की गई। दोनों सदस्यों की उपस्थिति में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये जिसमें उनका पूर्ण योगदान रहा। कार्यपरिषद् उनके कार्यपरिषद् सदस्य के रूप में मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है एवं आशा करता है कि भविष्य में भी उनका इसी प्रकार सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा।

श्री ललित सुरजन द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि पूरे तीन वर्षों के कार्यकाल में उनके द्वारा हमेशा विश्वविद्यालय के विकास एवं विश्वविद्यालय की पहचान बनाने में सतत प्रयास किया गया तथा इसी संदर्भ में उनके द्वारा दिए गए सुझावों को कार्यपरिषद् ने गंभीरता से लिया एवं यथासंभव कार्यवाही भी हुई है। वे इस विश्वविद्यालय के पहले बैच के छात्र रहे हैं तथा विश्वविद्यालय से उन्हें उपाधि भी मिली है, अतः वे कार्यपरिषद् के सदस्य नहीं भी रहेंगे तब भी विश्वविद्यालय के हित में विश्वविद्यालय के विकास के लिए हमेशा सहयोग देते रहेंगे तथा जब भी विश्वविद्यालय के कार्यकर्मों में औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से कोई निमंत्रण प्राप्त होता है तो वे अवश्य उपस्थित रहेंगे। इस संदर्भ में कुलपति द्वारा अपना विचार रखते हुए कहा गया कि विश्वविद्यालय का यह सौभाग्य है कि हमारे एलुमिनी, वरिष्ठ संपादक एवं संपादन में दीर्घकालीन अनुभव रखने वाले श्री ललित सुरजन के दीर्घ अनुभव का लाभ कार्यपरिषद् के सदस्य के रूप में लगातार मिलता रहा तथा उनका प्रत्येक स्वर विश्वविद्यालय की गरिमा को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। विश्वविद्यालय परिवार की अपेक्षा है कि वे हमेशा हम से जुड़े रहें।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को,
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त विभागीय अधिकारी,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उपकुलसचिव (अका.)

કુલાંકની અધ્યક્ષ/સિદ્ધાજી RZ 2013

our Major:-

<u>GB1 page 72</u>	દેલો એર્સે રિંગ સ્પોર્ટ્સ	25. 91,000 - " -
↓	બિડો (બેબ્બાળી) કુલો વેસ્ટાયર - m. કલાકારીઓનું માર રે	5000 - " - 1730 - " - 53624 - " -
	ફોલો સ્ટોપ્ચી - એર્સે એર્સે	9900 - " -
	ફોલો - નોન એન્સ્યુ. (એન્સ્યુ)	3360 - " -
	ચીલો જી એન્સ્યુ ગેલેરીની ઊંઘણી	6600 - " -
	નોર હેલ્પ સ્લેડ્ઝ પ્રોફેક્ટર સૉલે સ્યેસ્ટર	4980 - " -
	ફોલો જી કુલો ગેલેરી નોર્થ એન્સ્યુ	6419 - " -
	સુલો રેન્ફી એન્સ્યુની ખાતી	1250 - " -
	જુલી સ્ટોર્ચી પ્રોફેક્ટર એન્સ્યુ	27513 - " -
<u>GB1 page 73</u>	ચીલો જી 22-23 એન્સ્યુ પ્રોફેક્ટર - m. કુલો ગેલેરી નોર્થ એન્સ્યુ	17529 - " - 19500 - " -
↓	ચીલો એન્સ્યુ - બેબ્બાળી એન્સ્યુ	145,882 - " - 54,000 - " -
	ચીલો એન્સ્યુ	161,999 - " -
	ચીલો એન્સ્યુ - નોન એન્સ્યુ	10,770 - " -
	ચીલો નોર્થ - એન્સ્યુની ખાતી	14,231 - " -
	ચીલો 1522 એન્સ્યુ	25. <u>635,787 - " -</u>
<u>GB1 page 09</u>	એલો એન્સ્યુ એન્સ્યુ	<u>122,070 - " -</u>
		<u>757,857</u>
		<u>757,857</u>

બાળસ્કોલ વિદ્યાર્થીની વિદ્યાર્થી/શિષ્ય/શિષ્યાંક 12/12/2013

બાળ વિદ્યાર્થી: -

પાલનાથ નોસી/૩૯	૪/૧૧/૧૩	25 000/-
બલાનાથ નોસી/૫૮	૩૦/૧૧/૧૩	25 000/-
સેણુથ વિઠ્ઠલ નોસી/૭૫	૨૭/૧૧/૧૩	25 000/-
દુર્ગાચારી વિઠ્ઠલ નોસી/૧૫૭	૨૭/૧૧/૧૩	50 000/-
બાળસ્કોલ વિઠ્ઠલ નોસી/૧૪૮	૨૭/૧૧/૧૩	25 000/-

બાળસ્કોલ વિઠ્ઠલ નોસી/૧૪૮
બાળસ્કોલ - પાલનાથ નોસી/૩૯ ૫૦૬૨/૧૨
૧૯/૧૨/૧૩ 25 000/-

લાલચંદ્ર પટેલનાનાં પાત્રાનાં
25. 200, 000/- બાળસ્કોલ

200 000/-

A.I.U. New Delhi 13/12/2013 D.W.
7/12/13



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

७

क्र. १३०८७ / अका. / वि.प.स्थायी समिति / २०१४

रायपुर, दिनांक: ०९ / ०१ / २०१४

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद की स्थायी समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 07.01.2014 मध्याह्न 2.30 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

१.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
२.	प्रो. ए.के. गुप्ता	—	सदस्य
३.	प्रो. सी.एल. पटेल	—	सदस्य
४.	प्रो. स्वर्णलता सराफ	—	सदस्य
५.	प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	—	सदस्य
६.	प्रो. भगवंत सिंह	—	सदस्य
७.	प्रो. सी.डी. अगासे	—	सदस्य
८.	प्रो. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
९.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की ओर से नवनियुक्त संकायाध्यक्षों, एवं सदस्य प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान, प्रो. भगवंत सिंह, प्रो. सी.डी. अगासे तथा प्रो. ए.के. श्रीवास्तव का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

- विद्या-परिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.12.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : सम्पुष्टि की गई।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
१.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मगरलोड, जिला—धमतरी	B.Com. -II - Compulsory Subjects, Env.Sc.	60	2013–14	निरीक्षण तिथि—31.12.2013 शर्त—	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति एक वर्ष के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। इस संबंध में संचालनालय उच्च शिक्षा
		B.A. -II - Hindi, English, Env.Sc., Geography, History,	60		1. महाविद्यालय के पास अपना भवन नहीं है। महाविद्यालय प्राथमिक शाला के भवन में संचालित हो रहा है।	
		Sociology			2. छात्रों के लिए अध्ययन कक्ष की संख्या पर्याप्त नहीं है।	को भी जानकारी दी जाए।
		B.Sc. -II - Hindi, English, Env.Sc., Chemistry, Botany, Zoology	60		3. नियमित प्राध्यापक एवं सत्र सहायक प्राध्यापक कार्यरत हैं।	

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					4. ग्रंथालय में पुस्तकों को रखने की व्यवस्था नहीं है। 5. प्रयोगशाला की सुविधा नहीं है, उ.मा. शाला के प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य किया जा रहा है। 6. शासन के द्वारा भूमि आबंटन किया गया है। 7. गत वर्ष का बजट आबंटन संलग्न है।	

03. स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संशोधित विनियम 129 में (6.1) विहित शुल्क के संबंध में विचार करना।

निर्णय : स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संशोधित विनियम 129 में (6.1) विहित शुल्क एवं निरीक्षण समिति के गठन के संबंध में समिति की निम्नानुसार की गई अनुशंसा, का अनुमोदन किया गया—

- (1) [A] स्नातक स्तर पर प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु आधार पाठ्यक्रम के साथ प्रथम तीन मुख्य विषय के लिए रु. 15,000/- एवं प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु रु. 10,000/-
[B] स्नातकोत्तर स्तर हेतु प्रत्येक विषय के लिए रु. 15,000/-
- (2) तीन सदस्यी निरीक्षण समिति का गठन निम्नानुसार प्रस्तावित है –
 - (1) संकायाध्यक्ष – समन्वयक
 - (2) अध्यक्ष, अध्ययन मंडल – सदस्य
 - (3) विषय विशेषज्ञ – सदस्य

04. एम.एस.सी. बायोसाइंस में स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने एवं विनियम क्रमांक 152 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : एम.एस.सी. बायोसाइंस में डॉ. एस.एम. अग्रवाल के नाम से प्रस्तावित स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने एवं इस हेतु प्रस्तावित विनियम क्रमांक 152 का अनुमोदन किया गया।

05. सत्र 2013–14 की वार्षिक संबद्धता हेतु महाविद्यालय की सूची :—

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम
01	नानकचंद रमेशचंद अग्रवाल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, खरोरा, जिला—रायपुर
02	दिशा कालेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, चन्दखुरी, विधानसभा रोड, रायपुर


निर्णय : उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2013–14 के लिये वार्षिक अस्थायी संबद्धता आदेश प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण

01. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्र. 1055/49/आउशि/समन्वय/2013 दिनांक 03. 12.2012 पर विचार करना।

विषय : स्नातक पाठ्यक्रमों में एन.सी.सी. को अध्यापन हेतु आवश्यक शिक्षकों की व्यवस्था होने पर वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग को पत्र भेजी जावे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 13088/अका./वि.प.स्थायी समिति/2014

रायपुर, दिनांक: ०९/०१/२०१४

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. सहायक कुलसचिव, परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (अका.)

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :- छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रु0 9,24,550.00 भुगतान स्वीकृति हेतु ।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दि0 14.09.12 के विषय क्र0 11 में हुए स्वीकृति अनुसार वर्ष 2012-13 के वार्षिक, पूरक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए पत्र क्र0 67/विकास/उ.पु./13 दिनांक 11.03.13 के द्वारा 01.50 लाख मुख्य एवं पत्र क्र0 68/विकास/उ.पु./13 दिनांक 11.03.13 के द्वारा 02.00 लाख पूरक उत्तर पुस्तिकाएं मुद्रण करने हेतु छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर को आदेशित किया गया। उक्त आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय मुद्रणालय को उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त होने के प्रमाणीकरण पश्चात् छत्तीसगढ़ संवाद रायपुर के देयक का भुगतान किया जाना है जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र0	कार्य का विवरण	मुद्रण संख्या	दर	राशि	फर्म का नाम/देयक क्र. व दिनांक
01.	मुख्य उत्तर पुस्तिका	1,50,000 नग	02.91 प्र.नग (नंबरिंग चार्ज 0.06सहित)	4,36,500.00	छत्तीसगढ़ संवाद, छोटापारा, रायपुर देयक क्र0 225 दिनांक 07.09.13
02.	पूरक उत्तर पुस्तिका	2,00,000 नग	02.02 प्र.नग (नंबरिंग चार्ज 0.06सहित)	4,04,000.00	
03.	योग			8,40,500.00	
04.	छत्तीसगढ़ संवाद का चार्जस @10%			84,050.00	
05.	भुगतान योग्य कुल राशि रु.			9,24,550.00	

छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर द्वारा उत्तर पुस्तिका मुद्रण का देयक क्र0 225 दि0 07.09.2013 के द्वारा रु0 9,24,550.00 (अक्षरी रु0 नौ लाख चौबीस हजार पांच सौ पचपन मात्र) भुगतान करने के लिए प्रस्तुत किया गया है ।

अतः सत्र 2012 – 13 की परीक्षाओं के लिए उत्तर – पुस्तिका मुद्रण की राशि रु 9,24,550.00 (अक्षरी रु0 नौ लाख चौबीस हजार पांच सौ पचपन मात्र) छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर को भुगतान किये जाने की स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :— सत्र 2009–10 में मुद्रित कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण की बचत राशि रु. 6,58,660.00 के भुगतान स्वीकृति हेतु ।

वर्ष 2009–10 की परीक्षाओं के लिए रु. 02.82 प्रति उ0 पु0 के दर से 15 लाख मुख्य एवं रु. 01.88 प्रति उ0पु0 के दर से 30 लाख पूरक उ0पु0 निर्माण करने हेतु आदेश क्र0 1695/विकास/2009 दि0 18.11.2009 के द्वारा छ0ग0 संवाद को आदेशित किया गया । छ0ग0 संवाद ने 15 लाख मुख्य उत्तर-पुस्तिका एवं 30 लाख पूरक उत्तर पुस्तिका के स्थान पर 26.80 लाख पूरक उत्तर पुस्तिका मुद्रित कर विश्वविद्यालय को आपूर्ति की गई, जिसके मुद्रण की कुल राशि रु. 1,06,58,660.00 होती है । वर्ष 2010–11 के बजट में उ0पु0 निर्माण हेतु रु. 01.00 करोड़ मात्र का बजट प्रावधान किया गया था तथा कार्य परिषद की बैठक दि0 03.07.2010 में पद क्र0 04 पर लिए गये निर्णयानुसार बजट प्रावधान के अंतर्गत रु0 01.00 करोड़ मात्र का भुगतान (रु. 1,06,58,660.00 में से) विविध के धनादेश क्र0 251978 दि0 13.07.2010 के द्वारा छत्तीसगढ़ संवाद को किया जा चुका है तथा शेष बचत राशि रु. 6,58,660.00 का भुगतान सत्र 2013–14 में उ0पु0 निर्माण हेतु रु. 120.00 लाख के बजट प्रावधान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ संवाद को किया जाना है ।

अतः सत्र 2009–10 हेतु उत्तर पुस्तिका मुद्रण की शेष बचत राशि रु 6,58,660.00 (अक्षरी रु0 छै: लाख अन्तावन हजार छै: सौ साठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

NO.	HEAD OF ACCOUNT	ACTUAL 2011-12	BE 2012-13	ACTUAL	ESTIMATES	[Rs. in Lacs]	
				1.4.2012 30.11.2012	01.12.2012 31.03.2013	RE 2012-13	BE 2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
F. EXAMINATION AND EVALUATION ADMINISTRATION							
1	T.A./C.A to Staff, Teachers & Other Including Members for Examination Work	24.39	72.00	17.10	54.90	72.00	72.00
2	Contingencies						
	a) Stationery & Printing (including Degree & Exam. form)	62.41	110.00	8.50	101.50	110.00	110.00
	b) Answer Book	75.81	250.00	49.20	100.80	150.00	120.00
	c) Question Paper Printing	41.00	46.00	40.00	6.00	46.00	50.00
	d) Postage and Telephones	15.10	15.00	6.00	9.00	15.00	18.00
	e) Misc.Exam. Contingency Transportation, Freights, Refreshment Freights, Refreshment, Petrol/Diesel oil, Books Elimination & Incidental Charges.	35.12	48.00	26.85	21.15	48.00	50.00
	f) Purchase of New Furniture	5.93	12.00				12.00
	g) Purchase of New Vehicle		15.00				
3	Computer hire /result process charges	32.92	72.00	36.51	15.00	15.00	15.00
4	Remuneration to Officers, Teachers & Office Staff (including revaluation)	52.85	200.00	27.09	35.49	72.00	75.00
5	Examination Centre Expenditure	162.90	250.00	64.20	235.80	300.00	350.00
6	Central Valuation	139.56	200.00	186.38	113.62	300.00	300.00
7	Refund of Exam. Fees.	0.90	4.00	0.64	3.36	4.00	5.00
8	Development of Computer Centre	2.09	20.00				
9	Convocation & Other Function	9.98	15.00	0.47	20.00	20.00	25.00
10	Const./Extension Of Central Valuation Hall		25.00		14.53	15.00	20.00
11	Const. of Guest House & Teacher Hostel		25.00				25.00
12	Transfer to Endowment Fund Account		10.00		10.00	10.00	25.00
13	Wages for Examination Purpose	23.54	60.00	8.10	51.90	60.00	10.00
14	Exam / Confdl.Sec. automation & Furniture		20.00		20.00	20.00	65.00
15	Extension of Confidential Section (First Floor)						20.00
	TOTAL F	684.50	1469.00	471.04	985.96	1457.00	1597.00

कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय- विश्वविद्यालय स्थापना के 50वीं वर्षगांठ पर विश्वविद्यालय के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों को प्रदाय किये जाने हेतु स्मृति चिन्ह के स्वरूप का निर्धारण।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 01 मई 2013 से 01 मई 2014 के बीच मनाये जाने वाले 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सम्मान स्वरूप विश्वविद्यालय में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को यादगार के रूप में स्मृति चिन्ह प्रदान करने तथा स्मृति चिन्ह के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक 7729/सा.प्रशा./समिति-34 दिनांक 13.12.2013 के द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया गया -

- | | |
|---|----------|
| 1. डॉ. बी.के. शर्मा, प्रोफेसर, गणित अध्ययनशाला | -समन्वयक |
| 2. डॉ. ए.के. पति, प्रोफेसर, जैविकी अध्ययनशाला | |
| 3. डॉ. मिताश्री मित्रा, प्रोफेसर, मानव विज्ञान अध्ययनशाला | |
| 4. डॉ. आर.पी. दास, प्रोफेसर, प्रबंध अध्ययनशाला | |
| 5. डॉ. शैलेन्द्र सराफ, प्रोफेसर, फार्मेसी अध्ययनशाला | |
| 6. डॉ. जे.एल. गंगवानी, उपकुलसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग | |
| 7. डॉ. बी.सी. विश्वास, वित्त नियंत्रक, वित्त विभाग | |

स्मृति चिन्ह के स्वरूप के निर्धारण हेतु उपरोक्त समिति की बैठक दिनांक 28.12.2014 में सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

- (1) स्मृति चिन्ह में 20 ग्राम चांदी का सिक्का हो।
- (2) सिक्के के ऊपर सोने की परत छढ़ाई जावे।
- (3) हैवी मेटल की केसिंग इस प्रकार कराई जावे, ताकि सिक्के के दोनों साईड दिखे।
- (4) सिक्के के एक साईड में विश्वविद्यालय का मोनो एवं दूसरी साईड में गोल्डन जुबली का मोनो प्रदर्शित हो।

उपरोक्तानुसार प्रतिनिधि स्मृति चिन्ह के निर्माण में अनुमानित 2000/- (दो हजार रुपये) का व्यय आवेग। विश्वविद्यालय द्वारा 1000 नग स्मृति चिन्ह निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल व्यय 20 लाख अनुमानित है।

समिति की अनुशंसा कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :- वाहन चालकों को मोबाईल भत्ता प्रदाय करने के संबंध में राज्य शासन के आदेश क्रमांक 275/एफ-2013-02-00144/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2013 को अंगीकृत करने बाबत्।

वित्त एवं योजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 275/एफ-2013-02-00144/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2013 के अनुसार राज्य शासन द्वारा नियमित/कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना एवं संविदा पर नियुक्त (दैनिक वेतन भोगियों को छोड़कर) वाहन चालकों को आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन 200/- (दो सौ रुपये) प्रतिमाह की दर से मोबाईल भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

यह भी उल्लेख है कि आदेश माह अगस्त 2013 से प्रभावशील होगा।

राज्य शासन द्वारा उपरोक्त आदेश को अंगीकृत करते हुए विश्वविद्यालय में कार्यरत वाहन चालकों को राज्य शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन 200/- (दो सौ रुपये) प्रतिमाह की दर से मोबाईल भत्ता प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है।

कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर

क्रमांक 275/एफ-2013-02-00144/वित्त/नियम/चार प्रति, नवा रायपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2013

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समरत संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- वाहन चालकों को मोबाइल भत्ता प्रदाय करने बाबत् ।

राज्य शासन द्वारा नियमित/कार्यभारित/आकस्मिकता स्थापना एवं संविदा पर नियुक्त (दैनिक वेतन भोगियों को छोड़कर) वाहन चालकों को निम्न शर्तों के अधीन 200 रुपया प्रतिमाह की दर से मोबाइल भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है:-

1. वाहन चालक के पास स्वयं का 'मोबाइल सेट' एवं 'सिम' होना चाहिए, जिसकी लिखित जानकारी मोबाइल नंबर सहित, स्वीकृतकर्ता अधिकारी को दिया जाएगा ।
 2. मोबाइल चालू हालत में होना चाहिए ताकि वाहन के प्रभारी अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार वाहन चालक से संपर्क स्थापित किया जा सके, अन्यथा प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा पर मोबाइल भत्ता बंद/स्थगित किया जा सकेगा ।
 3. भत्ते का भुगतान नियमित वैतनिक अवकाश की अवधि में भी किया जाएगा बशर्ते कि निरंतर अवकाश की अवधि 15 दिवस से अधिक न हो ।
 4. नियमित स्थापना के वाहन चालकों के मोबाइल भत्ते का आहरण #01 वेतन, 014-अन्य भत्ते मद से तथा आकस्मिकता/कार्यभारित स्थापना के वाहन चालकों के भत्ते आहरण संबंधित कर्मचारी के वेतन आहरण मद से किया जाएगा ।
- 2/ यह आदेश माह अगस्त 2013 से प्रभावशील होगा ।

(एस०के० चकवर्ती)

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग

पृष्ठमार्क 276/एफ-2013-02-00144/वित्त/नियम/चार/13 नया रायपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2013

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
 2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
 3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
 4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
 7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
 8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
 9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
 10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
 11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
 12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
 13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
 14. आयुक्त, कोषलेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
 15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
 16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोषलेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़ ।
 17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
 18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
 19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
 20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
 21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर की ओर वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(राजेश कुमार श्रीवास्तव)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग

१७

कार्यालयीन टीप
(कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.02.2014 में रखे जाने हेतु)

विषय : विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क के वार्षिक रख-रखाव हेतु मेसर्स Key Computers Nagpur को कार्यादेश जारी के संबंध में विचार करना।

टीप : विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क के वार्षिक रख-रखाव के लिए दिनांक 23.11.2013 को निविदा क्र. 1420 / CSc/2013 एवं निविदा सूचना नं. 1421 / CSc/2013 दिनांक 23.11.2013 को जारी किया गया था, जिसकी निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 16.12.2013 थी, उक्त तिथि तक एक निविदा मेसर्स Key Computers Nagpur द्वारा प्राप्त हुई थी। ऐसी स्थिति को देखते हुए निविदा जमा करने की तिथि विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति लेकर दिनांक 26.12.2013 तक बढ़ाई गई थी। तब 26.12.2013 तक एक निविदा कम्प्यूटेक केयर, रायपुर द्वारा प्राप्त हुई थी, उपरोक्त दोनों निविदा को विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति लेकर दिनांक 27.12.2013 को डी.सी.डी.सी. कक्ष में खोला गया।

उपरोक्त दोनों फर्मों को पात्र पाया गया एवं न्यूनतम दर के आधार पर मेसर्स Key Computers Nagpur को रु. 7,96,680=00 (सात लाख छियानबे हजार छ: सौ अस्सी) with including service, VAT/CST Tax में एक वर्ष दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2014 तक के लिए विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क के वार्षिक रख-रखाव कराये जाने की अनुशंसा की गई एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा दिनांक 21.01.2014 को अनुशंसा की गई।

विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क के वार्षिक रख-रखाव हेतु मेसर्स Key Computers Nagpur को कार्यादेश एक वर्ष, दिनांक 01.01.2014 से 31.12.2014 तक के लिए जारी किये जाने हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

*S. P. Patil
05/2/2014*

L. M. Patil

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17.12.2013 का पालन प्रतिवेदन

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
01	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25. 10.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.10.2013 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।	
02	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25. 10.2013 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।	<p>विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.10.2013 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन निम्नलिखित निर्णय के साथ सूचना ग्रहण की गई :</p> <ol style="list-style-type: none"> कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 03.07.2010 में लिए गए निर्णयानुसार आफसेट प्रिंटिंग मशीन क्य की कार्यवाही किया जावे। बैठक दिनांक 07.08.2010 अध्यक्ष की अनुमति से विषय क्रमांक-4 में निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय में भी जल संवर्धन तथा वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए बजट से चार-पांच भवन चिन्हित कर ली जावे। तत्संबंध में निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय परिसर में वॉटर हार्वेस्टिंग की दृष्टि से जो क्षेत्र पानी के भंडारण के लिए उपयुक्त है, उसका चयन करते हुए तालाब निर्माण किया जावे। कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.02.2011 पूरकसूची विषय क्रमांक-7 में डिजिटल प्रिंटिंग मशीन क्य किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिस पर पुनः विचार किया गया कि यह मशीन गोपनीय विभाग के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, अतएव इस पर कार्यवाही नहीं की गई। अतः निर्णय निरस्त किया जाता है। 	<p>1. प्रक्रिया में है।</p> <p>2. विश्वविद्यालय परिसर में जल संवर्धन तथा वॉटर हार्वेस्टिंग की दृष्टि से तलाब के लिए जे.बी.सी. मशीन से खुदाई हेतु दरें प्राप्त की गई है। भू-विज्ञान विभाग को तालाब खुदाई-स्थान चिन्हाकिंत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।</p>
03	मुख्य परीक्षा 2014 के लिये परीक्षा केन्द्रों की सूची बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड./एम.पी.एड. पाठ्यक्रम 2014 के लिये निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की सूची सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर) सत्र 2013–14 के लिए परीक्षा केन्द्रों की संशोधित सूची की सूची कार्यपरिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।	मुख्य परीक्षा 2014 के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड./एम.पी.एड. पाठ्यक्रम 2014 के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की सूची, सेमेस्टर परीक्षा (स्नातकोत्तर) सत्र 2013–14 के लिए परीक्षा केन्द्रों की संशोधित सूची की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।	निर्धारित परीक्षा केन्द्र की सूची अनुमोदन के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
04	पुस्तक क्य हेतु 25,03,304/- रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार करना।	12वीं पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान राशि में से पुस्तक, शोध-पत्रिका क्य हेतु रुपये 25,03,304.00 की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।	पुस्तकों के क्रय हेतु कार्यवाही की जा रही है।
05	NCNR प्रोजेक्ट हेतु रु. 20,000/- इम्प्रेस्ट राशि की सूचना ग्रहण करना।	NCNR प्रोजेक्ट हेतु रुपये 20,000.00 (रुपये बीस हजार मात्र) इम्प्रेस्ट राशि की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।	प्रोजेक्ट समन्वयक द्वारा आहरित कर ली गई है।

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
06	डॉ. बी.कामेश्वर राव, आचार्य, स्वामी विवेकानंद समृति तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योग अध्ययनशाला के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन दिनांक 05.09.2013 पर विचार करना।	डॉ. बी.कामेश्वर राव, आचार्य, स्वामी विवेकानंद समृति तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योग अध्ययनशाला के द्वारा दिनांक 31.12.2013 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन दिनांक 05.09.2013 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01.11.2013 को प्राप्त प्रपत्र 28 को स्वीकार करते हुए दिनांक 31.12.2013 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।	निर्णयानुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश क्रमांक 7928/स्था/सा.प्रशा./2013 दिनांक 30.12.2013 जारी किया गया है।
07	विश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2013 से 80 प्रतिशत के स्थान पर पेंशन/परिवार पेंशन का 90 प्रतिशत महंगाई राहत दर छत्तीसगढ़ शासन के अनुरूप प्रदान करने हेतु अनुमोदन किया गया।	विश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2013 से 80 प्रतिशत के स्थान पर पेंशन/परिवार पेंशन का 90 प्रतिशत महंगाई राहत दर छत्तीसगढ़ शासन के अनुरूप प्रदान करने हेतु अनुमोदन किया गया।	निर्णयानुसार आदेश क्र. 42/सा.प्रशा./महंगाई/41/2014 दिनांक 02.01.2014 जारी किया गया है।
08	पी-एच.डी. शोध-प्रबंधों की डिजिटाईजेशन कार्य के लिए राशि रुपये 8.00 लाख की सक्षम प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।	पी-एच.डी. शोध-प्रबंधों के डिजिटाईजेशन कार्य के लिए राशि रुपये 8.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	भुगतान स्वीकृति हेतु नस्ती भेजी जा रही है।
09	भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सेन्ट्रल जोन के कुलपतियों की आयोजित बैठक दिनांक 04 एवं 05 दिसंबर, 2013 में कार्यपरिषद् की ओर से कुलपति द्वारा स्वीकृत अनुमानित व्यय राशि रुपये 10,60,000.00 (रुपए दस लाख साठ हजार मात्र) सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सेन्ट्रल जोन के कुलपतियों की आयोजित बैठक दिनांक 4–5 दिसंबर, 2013 के लिए कार्यपरिषद् की ओर से कुलपति द्वारा स्वीकृत अनुमानित बजट राशि रुपये 10,60,000.00 (रुपए दस लाख साठ हजार मात्र) की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदान/वित्तीय सहायता के उपरांत विश्वविद्यालय की ओर से जो व्यय होगा, उसकी स्वीकृति प्रदान की गई।	सेन्ट्रल जोन के कुलपतियों की बैठक सम्पन्न हुई।
	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण		
01	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.12.2013 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.12.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की गई।
02	वार्षिक परीक्षा 2013–14 के नियमित एवं अमहाविद्यालयीन परीक्षा आवेदन फार्म मुद्रण कार्य का देयक राशि रु. 43,30,000.00 (रुपये तिरालीस लाख तीस हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।	वार्षिक परीक्षा 2013–14 के नियमित एवं अमहाविद्यालयीन परीक्षा आवेदन फार्म मुद्रण कार्य का देयक राशि रुपये 43,30,000.00 (रुपये तिरालीस लाख तीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई।	भुगतान की कार्यवाही की गई।

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
03	विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को पारिश्रमिक तथा सीमा राशि रूपये 30,000/- से मुक्त रखने पर विचार करना।	हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र विषय के साथ-साथ कम्प्युटर विषय में शिक्षकों की कमी है। अतः विशेष प्रकरण मान्य करते हुए उक्त विषयों के लिए प्रत्येक सत्र में प्रायोगिक एवं सेंद्रांतिक प्रश्नपत्रों के प्रश्नपत्र रचना एवं मूल्यांकन के पारिश्रमिक की गणना अलग-अलग करते हुए प्रत्येक के लिए अधिकतम पारिश्रमिक रूपए 35,000.00 (रुपए चौंतीस हजार) करने हेतु अनुमोदन किया गया। इसके साथ-साथ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा में निर्णय करने हेतु कुलपति को अधिकृत करने संबंधी प्रस्ताव समन्वय समिति में भेजी जावे।	निर्णय के परिपालन में 13042/अका./2014 दिनांक 04.01.2014 जारी किया जा चुका है।
04	स्नातक प्रथम वर्ष परीक्षा की आवेदन फार्म को ऑनलाईन के माध्यम से भराये जाने के संबंध में गेटवे पेमेंट हेतु Bill Desk से अनुबंध किये जाने की जानकारी सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	स्नातक प्रथम वर्ष परीक्षा की आवेदन फार्म को ऑनलाईन के माध्यम से भराये जाने हेतु Bill Desk से गेटवे पेमेंट के लिए अनुबंध किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रथमतः अनुबंध 03 वर्ष के लिए किया जावे तथा कार्य संतोषजनक होने पर दोनों पक्षों की सहमति से एक-एक वर्ष वृद्धि करते हुए अधिकतम पांच वर्षों तक अनुबंध जारी रखा जावे।	ऑन लाईन से परीक्षा फार्म भराया गया।
05		Indian Institute of Public Administration, New Delhi (IIPA) एवं India International Centre, New Delhi (IIC) से संस्थागत सदस्यता के लिए आवेदन करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।	IIC से संस्थागत सदस्यता हेतु आवेदन किया गया है। IIPA से कार्यवाही होना शेष है।
06		कार्यपरिषद के समक्ष डॉ. जीवन यदु 'राही', प्राध्यापक, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ द्वारा रचित कुलगीत के लिए इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ द्वारा बनाई गई धुन (Music) प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	अधिसूचना क्र. 387 / सा.प्रशा. / कुलगीत-562014 दिनांक 22.01.2014 के द्वारा समस्त विभागों को सूचित किया गया है कि भविष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के प्रारंभ में विश्वविद्यालय के कुलगीत का प्रसारण सुनिश्चित किया जाए।
07		कुलपति द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला द्वारा "नागार्जुन दर्शन" (Philosophy of Nagarjuna) विषय पर दिनांक 13-15 जनवरी, 2014 को राष्ट्रीय सेमीनार आयोजित है, जिसके मुख्य अतिथि, नोबल पुरस्कार से सम्मानित धर्मगुरु दलाई लामा होंगे। सेमीनार में Central University of Tibbaten Sarnath से रु. 3,00,000.00 (रुपए तीन लाख) एवं छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड से रुपए 4,00,000.00 (रुपए चार लाख) वित्तीय सहायता प्राप्त होगा। पूरे कार्यक्रम में अनुमानित व्यय रु. 9,00,000.00 (रुपए नौ लाख) होगा। स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम पर सभी सदस्यों द्वारा विचार	निर्णयानुसार सेमीनार आयोजित किया गया।

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
		व्यक्त किया गया कि नोबल पुरस्कार से सम्मानित धर्मगुरु दलाई लामा की उपस्थिति विश्वविद्यालय के छात्रों/शिक्षकों के साथ—साथ छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि एवं गर्व का विषय है। कार्यपरिषद् के द्वारा सेमीनार के लिए अनुमानित व्यय राशि रुपए 9,00,000.00 (रुपए नौ लाख) का अनुमोदन किया गया।	
08		International Accreditation Organization IAO के द्वारा जनवरी में प्रस्तावित दौरा की सूचना ग्रहण की गई।	स्कैनिंग समिति गठित कर दी गई है, कार्यवाही जारी है।
09		<p>कार्यपरिषद् के सदस्य सर्वश्री ललित सुरजन एवं डॉ.जी.बी. गुप्ता का कार्यकाल दिनांक 23.12.2013 को समाप्त हो रहा है। कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों द्वारा कार्यपरिषद् सदस्य के रूप में उनके योगदान की सराहना की गई। दोनों सदस्यों की उपस्थिति में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये जिसमें उनका पूर्ण योगदान रहा। कार्यपरिषद् उनके कार्यपरिषद् सदस्य के रूप में मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है एवं आशा करता है कि भविष्य में भी उनका इसी प्रकार सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा।</p> <p>श्री ललित सुरजन द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि पूरे तीन वर्षों के कार्यकाल में उनके द्वारा हमेशा विश्वविद्यालय के विकास एवं विश्वविद्यालय की पहचान बनाने में सतत प्रयास किया गया तथा इसी संदर्भ में उनके द्वारा दिए गए सुझावों को कार्यपरिषद् ने गंभीरता से लिया एवं यथासंभव कार्यवाही भी हुई है। वे इस विश्वविद्यालय के पहले बैच के छात्र रहे हैं तथा विश्वविद्यालय से उन्हें उपाधि भी मिली है, अतः वे कार्यपरिषद् के सदस्य नहीं भी रहेंगे तब भी विश्वविद्यालय के हित में विश्वविद्यालय के विकास के लिए हमेशा सहयोग देते रहेंगे तथा जब भी विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से कोई निमित्रण प्राप्त होता है तो वे अवश्य उपस्थित रहेंगे। इस संदर्भ में कुलपति द्वारा अपना विचार रखते हुए कहा गया कि विश्वविद्यालय का यह सौभाग्य है कि हमारे एलुमिनी, वरिष्ठ संपादक एवं संपादन में दीर्घकालीन अनुभव रखने वाले श्री ललित सुरजन के दीर्घ अनुभव का लाभ कार्यपरिषद् के सदस्य के रूप में लगातार मिलता रहा तथा उनका प्रत्येक स्वर विश्वविद्यालय की गरिमा को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। विश्वविद्यालय परिवार की अपेक्षा है कि वे हमेशा हम से जुड़े रहें।</p>	<p>स्कैनिंग समिति गठित कर दी गई है, कार्यवाही जारी है।</p> <p>डॉ. जी.बी. गुप्ता एवं श्री ललित सुरजन जी को धन्यवाद ज्ञापन पत्र प्रेषित किया जा चुका है।</p>



कुलसचिव



पं. यविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी, 2014 को अपराह्न 3.00 बजे
आयोजित बैठक की पूरक विषयसूची

01. विश्वविद्यालय के 49वाँ वार्षिक प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार करना।

(पृ.क्र. 01 से 03 तक)

टीप : प्रतिवेदन संलग्न।

02. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 06.02.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र. 04 से 10 तक)

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

03. मुख्य परीक्षा 2014 के लिये परीक्षा केन्द्रों को केन्द्र अग्रिम प्रथम किश्त की राशि 1,21,40,000/- (रुपये एक करोड़ इक्कीस लाख चालीस हजार) भुगतान की स्वीकृति हेतु विचार करना। (पृ.क्र. 11 से 15 तक)

टीप : परीक्षा केन्द्रों के सम्मुख राशि सूची संलग्न।

04. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.02.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना। (पृ.क्र. 16 से 28 तक)

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

05. डॉ. इन्दु अनंत, तत्कालीन, कुलसचिव के पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स राशि ₹ 7,64,270.00 के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 29 से 30 तक)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

06. 56 विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ अग्रिम चंदा राशि रु. 2589627/- के भुगतान करने पर विचार करना। (पृ.क्र. 31)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

07. विश्वविद्यालय के 18 प्राध्यापकों एवं 08 सहायक प्राध्यापकों के कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण तिथि से एरियर्स का भुगतान की राशि 2673636.00 स्वीकृत किए जाने के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 32 से 33 तक)

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

08. छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रु. 76,64,800.00 भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 34)
- टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
09. कु. सुषमा जैसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, कम्प्युटर विज्ञान अध्ययनशाला को पूर्व में स्वीकृत धारणाधिकार दिनांक 02.02.2014 को समाप्त होने के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.02.2014 के संदर्भ में विचार करना। (पृ.क्र. 35 से 36 तक)
- टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
10. अंकेक्षण प्रतिवेदन 2008–09 अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन पर विचार करना।
- टीप : अंकेक्षण प्रतिवेदन में उत्थापित आपत्तियों का निराकरण किया जाना है। पूर्व में पोस्ट आडिट द्वारा वित्तीय सत्र 2008–09 का अंकेक्षण कार्य संपादन किया गया है जिसके परिपालन में उनके द्वारा आक्षेपित अंकेक्षण आपत्तियों के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है, तथा वर्तमान में वित्तीय सत्र 2009–10 के लिए आक्षेपित अंकेक्षण आपत्तियों का समक्ष में उपस्थित होकर निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः वित्तीय सत्र 2008–09 का अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यपरिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।
11. वर्ष 2004 से 2009 के मध्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त 33 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा ग्रंथपाल एवं सहायक संचालक के स्थायी करण के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र. 37 से 38 तक)
- टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
12. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती के अवसर पर “स्वर्ण जयंती कर्मचारी कल्याण योजना” संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।
13. के.डी. रूगटा कालेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीरसावरकर नगर, अटारी, रायपुर में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।
- टीप : प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा पटल पर रखी जाएगी।
14. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।



कुलसचिव

कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :- 49वें वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 का अनुमोदन करने बाबत्।

विश्वविद्यालय के 49वें वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2012-13) का प्रकाशन किया जाना प्रस्तावित है। वार्षिक प्रतिवेदन को प्रकाशन के पूर्व परीक्षण हेतु गठित समिति के द्वारा अवलोकन किया गया है।

वार्षिक प्रतिवेदन में 01 जुलाई 2012 से 30 जून 2013 तक की जानकारी संबंधित विभागों से संकलित कर समाहित की गई है। प्रतिवेदन में आकड़ों से संबंधित जानकारी को ग्राफ एवं छायाचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

कार्यपरिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्तावना

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के वार्षिक अकादमिक क्रियाकलाप और विकास एवं उन्नति की गतिविधियों को प्रदर्शित करता वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2012–13 आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

आप सभी विदित हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य सतत् विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी निरंतर नए आयाम हासिल कर रहा है। इस शैक्षणिक विकास की कड़ी में पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने सत्र 2012–13 में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं। मुझे गर्व है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना के बावजूद पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं पाठ्यक्रमों की संख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। हमारा विश्वविद्यालय अपनी स्थापनाकाल से अनवरत् अपने क्षेत्राधिकार में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए प्रयत्नशील रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में सत्र 2012–13 की अकादमिक गतिविधियों की जानकारी वार्षिक प्रतिवेदन में समाहित की गई है। इन गतिविधियों को अपने अंतिम सोपान तक पहुंचाने की योजना आगामी वर्षों में जारी रहेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

जब हम अपने विश्वविद्यालय के पूरे परिदृश्य का अवलोकन करते हैं जो पिछले 49वर्षों के समयांतराल में निर्मित हुआ है, तो हम पाते हैं कि हर वर्ष हमारा विश्वविद्यालय कठिनाइयों के बावजूद नित—नए सोपान की ओर अग्रसर हुआ है। देश के चुनींदा विश्वविद्यालयों को मिले राष्ट्रीय ज्ञान—आयोग की 1GBPS गतिक्षमता वाली योजना विश्वविद्यालय परिसर में लागू करके हमने इंटरनेट की तेज रफ्तार दुनिया से कदम—से—कदम मिला लिया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार सुविधा के माध्यम से शोध—साहित्य को अध्ययन—अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराने की सार्थक पहल की है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुए व्यापक फैलाव के बावजूद हमने सत्र 2012–13 में नियमित छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।

यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस प्रतिवेदन अवधि में हम हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना के 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। इस सुदीर्घ अवधि में विश्वविद्यालय ने क्षेत्राधिकार के युवाओं को शिक्षित-दीक्षित करने का गुरुतर दायित्व को निभाया है। इस स्वर्णम अवसर पर 1 मई, 2013 से 1 मई, 2014 तक स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में वर्षभर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से यादगार बनाने का निर्णय लिया गया है। स्थापना दिवस के अवसर पर स्वर्ण जयंती वर्ष से संबंधित “शुभंकर” का अनावरण माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय श्री शेखर दत्त एवं पदमभूषण न्यायमूर्ति श्री सी.एस. धर्माधिकारी की उपस्थिति में किया गया। स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर सभी शिक्षण विभागों में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, कार्यशाला एवं व्याख्यानमाला आयोजित किए जा रहे हैं। इसी सत्र में पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्राकृतिक संसाधनों पर राष्ट्रीय शोध के प्रस्ताव पर भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर का “राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन शोध केन्द्र” स्थापित करने की स्वीकृति मिली। इस परियोजना के प्रथम चरण में प्रारंभिक 03 वर्ष के लिए राशि रु. 10.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। यह शोध केन्द्र प्रारंभिक चरण में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है।

किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान उनके शोध विषयक नये अनुसंधानों पर निरंतर आगे बढ़ने में है। अनुदान आयोग ने इस दिशा में हमें अनेक महत्वपूर्ण सहायता दी है। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय इन्हीं उत्कृष्ट शोध-परियोजनाओं के कारण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहा है। विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के लिए DST-FIST अनुदान, UGC-SAP के अंतर्गत का अनुदान, UGC-MRP का एवं CCOST-MRP से वित्तीय स्वीकृति मिलना उल्लेखनीय रहा।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने बदलते हुए विश्व में गुणवत्ता हासिल करने के लिए समर्त विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं और छात्रों में इस गुणवत्ता को उतारने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसका सिंहावलोकन इस प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

4

50

क्रमांक / 13344 / अका. / विद्या .प. / 2014

रायपुर, दिनांक 10/2/2014

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की बैठक गुरुवार, दिनांक 06-02-2014 को अपराह्न 3:00 बजे
डॉ. सी. वी. रमन हॉल विज्ञान भवन में संपन्न हुई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :—

1. डॉ. एस. के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. रोहिणी प्रसाद	—	सदस्य
3. डॉ. एम. डब्ल्यू. वाय. खान	—	सदस्य
4. डॉ. ए. के. गुप्ता	—	सदस्य
5. डॉ. सी. एल. पटेल	—	सदस्य
6. डॉ. ओ. पी. चन्द्राकर	—	सदस्य
7. डॉ. अमिता सहगल	—	सदस्य
8. डॉ. ए. के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
9. डॉ. विभूति राय	—	सदस्य
10. डॉ. व्यास नारायण दुबे	—	सदस्य
11. डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता	—	सदस्य
12. डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा	—	सदस्य
13. डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार	—	सदस्य
14. डॉ. (श्रीमती) अनुसूईया बघेल	—	सदस्य
15. डॉ. अशोक कुमार उपाध्याय	—	सदस्य
16. डॉ. राकेशचन्द्र अग्रवाल	—	सदस्य
17. डॉ. मोयना चक्रवर्ती	—	सदस्य
18. डॉ. ए. के. पति	—	सदस्य
19. डॉ. एस. के. नैथानी	—	सदस्य
20. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	—	सदस्य
21. डॉ. आर. पी. दास	—	सदस्य
22. डॉ. (श्रीमती) रीता वेणुगोपाल	—	सदस्य
23. डॉ. अब्दुल करीम	—	सदस्य
24. डॉ. बी. के. शर्मा	—	सदस्य
25. डॉ. मिताश्री मित्रा	—	सदस्य
26. डॉ. अमरकांत पाण्डेय	—	सदस्य
27. डॉ. एच. के. पाठक	—	सदस्य
28. डॉ. श्रीकांत पाण्डेय	—	सदस्य
29. डॉ. व्यास दुबे	—	सदस्य
30. डॉ. शैल शर्मा	—	सदस्य
31. डॉ. बशीर हसन	—	सदस्य
32. डॉ. एस. के. जाधव	—	सदस्य
33. डॉ. सी. डी. अगासे	—	सदस्य
34. डॉ. अरुण कुमार	—	सदस्य
35. डॉ. संजय तिवारी	—	सदस्य

36. डॉ. माया वर्मा	—	सदस्य
37. डॉ. संजय कुमार	—	सदस्य
38. डॉ. के. एस. पटेल	—	सदस्य
39. डॉ. अरुणा पलटा	—	सदस्य
40. डॉ. एम. पी. गुप्ता	—	सदस्य
41. डॉ. बी. एस. चौहान	—	सदस्य
42. डॉ. प्रीति के. सुरेश	—	सदस्य
43. डॉ. मनमोहन लाल सतनामी	—	सदस्य
44. श्रीमती प्रतिभा दीया कलाडियस	—	सदस्य
45. श्री के. के. चन्द्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यसूची पर चर्चा के पूर्व कुलपति द्वारा सभी सदस्यों को अपने उद्बोधन में जानकारी दी कि आज की विद्या परिषद् की बैठक में आगामी अकादमिक कैलेण्डर के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव जैसे :— स्नात्तक स्तर के पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली लागू करना, प्रश्नपत्रों के पैटर्न में परिवर्तन, शोध हेतु निर्धारित अध्यादेश 45 के संबंध में आने वाली समस्याओं को देखते हुए संशोधन संबंधी प्रस्ताव विचार हेतु प्रस्तुत है। विश्वविद्यालय में आगामी वर्ष में बेसिक साईंस सेन्टर के माध्यम से एकीकृत पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाना है। सेमेस्टर प्रणाली की सफलता के लिये महाविद्यालयों में अध्यापन कर रहे शिक्षकों से सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा कार्यों का मूल्यांकन एवं मूल्यांकन उपरांत परीक्षार्थियों का लिखित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कराने संबंधी प्रस्ताव का जिक्र किया। तत्पश्चात् निर्धारित कार्य सूची पर चर्चा प्रारम्भ हुई।

कार्यवृत्त :

विषय क्रमांक—1 विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 28.06.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 28.06.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक—2 विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 28.06.2013 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय: विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 28.06.2013 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक—3 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.07.2013, 07.08.2013, 13.08.2013,

29.08.2013, 13.09.2013, 23.10.2013, 16.12.2013 एवं 07.01.2014 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय: विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.07.2013, 07.08.2013, 13.08.2013, 29.08.2013, 13.09.2013, 23.10.2013, 16.12.2013 एवं 07.01.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक—4 स्नात्तक पाठ्यक्रम में सेमेस्टर सिस्टम प्रारम्भ किये जाने पर विचार करना।

निर्णय: स्नात्तक पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत अध्ययन—अध्यापन एवं परीक्षा आयोजित किया जाने के संबंध में प्राचार्यों द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन पढ़कर विद्यापरिषद् के सभी सदस्यों को जानकारी दी गयी। सभी सदस्यों का यह मत रहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा—निर्देश के अनुसार स्नात्तक पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत अध्ययन—अध्यापन के साथ परीक्षा आयोजित करने संबंधी प्रस्ताव उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से आवश्यक है। इस पद्धति से छात्र एवं शिक्षकों दोनों की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूरे वर्ष भर जारी रहता है तथा प्रत्येक दृष्टि से छात्रों का सतत मूल्यांकन हो जाता है। परंतु महाविद्यालय में शिक्षकों के अनेक पद रिक्त हैं जिसके कारण इस प्रणाली के अंतर्गत अध्ययन—अध्यापन एवं परीक्षा आयोजित कर मूल्यांकन कराकर परीक्षा परिणाम घोषित करने में विलम्ब होगा। अतः सदस्यों का विचार है कि सभी महाविद्यालयों में प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति की जावें तथा स्नात्तक स्तर के पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली के अध्ययन—अध्यापन एवं परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही प्रथमतः स्वशासी महाविद्यालय में की जावें। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य महाविद्यालय में स्नात्तक पाठ्यक्रमों में अध्ययन—अध्यापन एवं परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही की जावें। महाविद्यालय में लागू करने हेतु प्राचार्यों की बैठक आयोजित कर सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत अध्यापन, अवकाश, परीक्षा एवं मूल्यांकन की व्यवस्था के बारे में चर्चा कर अंतिम रूप दिया जावें जिससे सेमेस्टर प्रणाली सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके।

विषय क्रमांक—5 B. Voc. Degree Programme के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002 के पत्र क्र. F.No.87-1/2012(SU-I) 10 Oct. 2013 पर विचार करना।

निर्णय: B. Voc. Degree Programme प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव अध्ययन मण्डल एवं संकाय में प्रस्तुत किया जावे तथा इनके अभिमत एवं सुझाव के अनुसार आगामी कार्यवाही किया जावें।

विषय क्रमांक—5 अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय: अध्यक्ष की अनुमति से :

- विश्वविद्यालय के स्नात्तक एवं स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतर्गत आयोजित होने वाली परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के पैटर्न के संबंध में सुझाव हेतु गठित समिति के समन्वयक प्रो. ए. के. पति एवं अन्य सदस्यगण, प्रो. ए. के. गुप्ता, प्रो. (श्रीमती) रीता वेणुगोपाल, प्रो. बी. जी. सिंग द्वारा निम्नानुसार प्रस्तावित प्लान B का अनुमोदन किया गया।

Plan-B

Suggested Pattern of Question Paper

Semester-XX

Subject: XYZ

Time: 3 hours [15 minutes extra to read through the question paper]

Full Marks: 80

Section	Type of questions	Number of questions	Marks allotted to each	Total Marks
Part-A	Objective Type multiple choice questions with answers [Choose the correct/ most appropriate answer and write it in your answer book]	20	1.0	20.0
Part-B	Very short answer type questions [one from each unit; answer using 2-3 sentences – 4 answers in one page]	8	2.0	16.0
	In case of Five Units	10	1.5	15.0
Part-C	Short answer type questions unit wise [one from each unit; answer precisely not using more than 75 words – 2 answers in one page]	8	3.0	24.0
	In case of Five Units	10	2.5	25.0
Part-D	Long answer type questions unit wise with internal choice [Answer precisely using 150 words in the space provided – one answer in one page]	4	5.0	20.0
	In case of Five Units	5	4.0	20.0
	Total			80.0
	Internal assessment			20.0
	Grand Total			100.0
*Add when there are Five Units				

2. शोध उपाधि से संबंधित अध्याधेश 45 में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन निम्नलिखित सुझाव का समावेश करते हुए की गई :-

1. **Clause-9 iii, Para 1:** The phrase "Provided that he/she will be recognized as a guide only in one subject" to be deleted. Explanation -The current problematic issue will persist. For example a person with M.sc. and Ph.D in Botany and appointed as an Assistant Professor in Biotechnology Department. In the first place he is a specialist in Botany and in the second place he has some notable contributions in Biotechnology. Perhaps for this reason he has been appointed as an assistant professor in Biotechnology. This type of issue may crop up in Bioscience/ Life Science/ Linguistics and many other subjects with large number of interdisciplinary connectivity. Therefore, they may be recognized as Ph.D guide in two subjects. It does not matter as long as the maximum cap of 6 registrations are adhered to strictly.

2. **Proforma for Synopsis (Clause 5 of the Ordinance-45):** Should be retained as it is in the existing Ordinance. **Explanation -** It is often hard to find noteworthy contribution from candidate who is fresh M.Sc and NET qualified. Rather noteworthy contribution in the field of research is important. This will reveal how much efforts the candidate has made to review the field of his proposed research and how the candidate has identified the noteworthy contributions in the proposed field.

3. **Matters related to Ph.D Ordinance:**

Additional Revision Required with reference to cap on number of candidates registered under a teacher as Guide and Co-guide:

The maximum cap should be 9 including both as Guide and Co-guide. Any person who is a guide or co-guide in universities and institutions other than Pt. Ravishankar Shukla University should declare his status immediately to the Academic Section and rather one should take prior permission from the University for becoming a Guide/Co-guide in Universities and Institutions other than Pt. Ravishankar Shukla University.

4. **Regarding Identifying Peer-Reviewed Journals:** A committee comprising of chairman DRC, chairman Board of Studies and Dean would prepare a list of peer reviewed journals and submit to RDC for final approval.

3. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग एवं सम्बद्ध महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अध्ययन—अध्यापन एवं परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित हैं। इसी प्रकार आगामी सत्र में स्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत आयोजित किया जाना विचारणीय है। कला वाणिज्य एवं समाज विज्ञान संकाय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के कुछ पाठ्यक्रमों में वार्षिक परीक्षा प्रणाली से परीक्षा अयोजित हो रही है। जिसमें अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं।

अतः शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विद्यापरिषद के समक्ष निम्नानुसार बिंदु विचारार्थ प्रस्तुत :—

विषय क्रमांक—1 जिन पाठ्यक्रमों (सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षा प्रणाली दोनों) में सैद्धांतिक विषय के साथ—साथ, प्रयोगिक विषय के अध्यापन अनिवार्य है ऐसे पाठ्यक्रमों में प्राइवेट परीक्षा समाप्त करने पर विचार करना।

निर्णय: सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिन पाठ्यक्रमों (सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षा प्रणाली दोनों) में सैद्धांतिक विषय के साथ—साथ, प्रयोगिक विषय के अध्यापन अनिवार्य है ऐसे पाठ्यक्रमों में प्राइवेट परीक्षा समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांक—2 शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संबंधित विषय के साथ स्नातक उपाधि की अनिवार्यता पर विचार करना।

निर्णय: इस संबंध में संबंधित अध्ययन मण्डल एवं संकाय में प्रस्तुत किया जावें।

- विषय क्रमांक—3** स्नात्तकोत्तर एवं स्नातक पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत मूल्यांकन की व्यवस्था पूर्णतः आंतरिक अर्थात् सैद्धांतिक, प्रायोगिक परीक्षाओं में मूल्यांकन संबंधित महाविद्यालयों के अध्यापन में संलग्न शिक्षकों से कराने पर विचार करना।
- निर्णय:** सिद्धांतः स्वीकार की गयी। प्रकरण प्राचार्यों की बैठक में भी रखी जावें।
- विषय क्रमांक—4** परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने एवं महाविद्यालयों से प्राप्त अंकों के आधार पर परिणाम घोषित करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होगी एवं परीक्षा आयोजन से लेकर मूल्यांकन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालयों की होगी। महाविद्यालयों का उत्तरदायित्व है, निष्पक्ष मूल्यांकन की व्यवस्था कराना। अतः इस व्यवस्था को लागू करने के पूर्व विचारार्थ प्रस्तुत।
- निर्णय:** सिद्धांतः सहमति प्रदान की गई, प्रकरण प्राचार्यों की बैठक में भी रखी जावें।
- विषय क्रमांक—5** महाविद्यालय द्वारा मूल्यांकन के फलस्वरूप निर्धारित तिथि के पूर्व विद्यार्थियों को मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कराने का विचार करना।
- निर्णय:** सिद्धांतः सहमति प्रदान की गई, परंतु इसपर आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण प्राचार्यों की बैठक में रखी जावें।
- विषय क्रमांक—6** चूंकि उत्तर पुस्तिका दिखाने की व्यवस्था होगी इसलिए पुर्णः मूल्यांकन एवं पुर्णः गणना की व्यवस्था समाप्त करने पर विचार करना।
- निर्णय:** आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था होने पर यह व्यवस्था लागू की जा सकती है।
- विषय क्रमांक—7** प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय तथा लघु उत्तरीय-दीर्घ उत्तरीय जवाब संबंधी (शब्द सीमा के अंतर्गत) देने प्रश्नों के समावेश करने पर विचार करना।
- निर्णय:** अध्यक्ष की अनुमति से विषय क्रमांक 1 पर निर्णय लिया जा चुका है।
- विषय क्रमांक—8** कोरी उत्तरपुस्तिका के पेजों की संख्या निर्धारित करने पर विचार करना।
- निर्णय:** अध्यक्ष की अनुमति से विषय क्रमांक 1 पर निर्णय लिया जा चुका है।
- विषय क्रमांक—9** प्रत्येक पाठ्यक्रमों में प्रत्येक विषयों के लिए प्रश्न बैंक आदर्श उत्तर सहित तैयार किये जाने पर विचार करना, जिसमें प्रश्न बहुविकल्पीय, लघुउत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय एवं निबंधीय हो।
- निर्णय:** प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।
- विषय क्रमांक—10** भाषा के प्रश्नपत्रों में उत्तर संबंधित भाषा में दिया जाना की अनिवार्यता सुनिश्चित किये जाने पर विचार करना।
- निर्णय:** प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।
- विषय क्रमांक—11** स्नात्तकोत्तर में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के संबंध में विचार करना।
- निर्णय :-** प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।

अन्य निर्णयः—

1. बी. काम. में कम्प्यूटर एप्लीकेशन अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने की अनुशंसा की जाती है।
2. सामाजिक विज्ञान केन्द्र बनाने संबंधी प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई।
3. इंस्पायर कैप के समान सामाजिक विज्ञान विषय पर कैप आयोजित करने संबंधी प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक 10345 / अका. / विद्या पं. / 2014

रायपुर, दिनांक 10/2/2014

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर।
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
3. विद्यापरिषद् के समस्त सदस्यों को
4. वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
5. जनसम्पर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
6. वित्त अधिकारी / प्रभारी अंकेक्षण,
7. समस्त विभागीय अधिकारी,
8. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपकुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ;छ.ग.द्व

११

५०

डेपर्टमेंट तेनमगठ/हॉपसप्लाई

// मुख्य परीक्षा 2014 के लिए परीक्षा केन्द्रों की सूची //

क्र.सं.	केन्द्र / महा. कोड	परीक्षा केन्द्र का नाम	
1	101	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर	-
2	103	शास. जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महा., बैरनबाजार, रायपुर	80000
3	104	शास. डी.एस.व्ही. संस्कृत महा., जी.ई. रोड, रायपुर	80000
4	105	शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महा., जी.ई. रोड, रायपुर	60000
5	106	शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर	70000
6	107	शास. डॉ. राधा बाई नवीन कन्या महा., पुरानीबस्ती, रायपुर	80000
7	112	दुर्गा महाविद्यालय, के.के. रोड, रायपुर	300000
8	113	विवेकानन्द महा० रायपुर	80000
9	115	महंत लक्ष्मीनारायण दास महा.गांधी चौक, रायपुर	100000
10	116	श्रीमती प्र.गो.दास डागा कन्या महा., कचहरी चौक, रायपुर	100000
11	117	गुरुकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी चौक, रायपुर	150000
12	118	विप्र कला / वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महा., रायपुर	80000
13	119	प्रगति महाविद्यालय, चौबे कॉलोनी, रायपुर	150000
14	120	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, रायपुर	80000
15	121	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महा., शंकरनगर, रायपुर	150000
16	122	अग्रसेन महाविद्यालय, रायपुर	80000
17	124	दिशा महा० रामनगर, रायपुर	100000
18	127	सेन्ट्रल कॉलेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, फाफाडीह, रायपुर	80000
19	128	कला—वाणिज्य कन्या महा., देवेंद्रनगर, रायपुर	100000
20	129	आदर्श कला—वाणिज्य महाविद्यालय, नई गंजमंडी, रायपुर	150000
21	130	केन्द्रीय—जेल, रायपुर (उप केन्द्र)	-
22	131	सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, रायपुर	90000
23	158	शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा, रायपुर	70000

223000

24	159	ऊँ श्री साईनाथ महाविद्यालय, परसतराई (धरसीवा)	30000
25	160	नानकचंद रमेशचंद अग्रवाल महा., खरोरा	60000
26	163	शिक्षा स्नातक महाविद्यालय, मॉढर	50000
27	164	शासकीय महाविद्यालय, कोहका (तिल्दा—नेवरा)	150000
28	166	सैचुरी सीमेंट महाविद्यालय, बैकुंठ (तिल्दा)	30000
29	167	विवेकानंद महाविद्यालय, भानसोज	60000
30	168	शास. बद्रीप्रसाद कला—वाणिज्य महा., आरंग	150000
31	169	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर	150000
32	170	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, बेलभाटा, अभनपुर	80000
33	174	शासकीय महाविद्यालय, गोबरा, नवापारा	60000
34	175	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा., नवापारा (राजिम)	200000

जिला— बलौदाबाजार --माटापारा

35	201	शास. डी.बी.डी.के. महा., बलौदाबाजार	250000
36	202	शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार	60000
37	203	शासकीय जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा	160000
38	205	शासकीय राजीव गौड़ी महाविद्यालय, सिमगा	80000
39	206	शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी	60000
40	207	शासकीय महाविद्यालय, लवन	30000
41	208	शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय, भटगौव	50000
42	209	शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़	60000
43	210	शासकीय स्व. दौलतराम शर्मा महा., कसडोल	150000

जिला— गरियाबंद

44	251	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम	120000
45	252	आर्यभट्ट कला—विज्ञान महा., कोपरा	40000
46	253	शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम)	40000
47	255	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	100000
48	259	शासकीय महाविद्यालय, देवर्भोग	100000
49	263	नवीन शास. महा., मैनपुर, गरियाबंद	50000

जिला— महासमुन्द

50	301	शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महा., महासमुन्द	200000
51	302	शासकीय माता कर्मा कन्या महा., महासमुन्द	50000
52	303	शांत्रीबाई कला—वाणिज्य महा., महासमुन्द	50000
53	306	शासकीय खेल. कला / वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा	60000

27 30000

54	307	शासकीय चन्द्रपाल डडसेना महा., पिथौरा	80000
55	308	शासकीय स्व. जयदेव सतपथी महा., बसना	80000
56	309	शासकीय स्व. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह महा., सराईपाली	200000

जिला-धमतरी

57	351	शासकीय स्व. छोटेलाल श्रीवास्तव महाविद्यालय, धमतरी	300000
58	352	शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी	60000
59	361	शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, सिहावा (नगरी)	150000
60	362	शासकीय महाविद्यालय, भखारा, धमतरी	60000
61	363	छत्तीसगढ़ महतारी महाविद्यालय, भखारा	80000
62	364	कला महाविद्यालय, जामगाँव (जी)	80000
63	365	शासकीय महाविद्यालय, कुरुद	200000
64	368	शास. महाविद्यालय, मगरलोड जिला धमतरी	80000

जिला - दुर्ग

65	401	शासकीय व्ही.एन.यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय, जी.ई. रोड, दुर्ग	300000
66	402	शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर कन्या महा., दुर्ग	200000
67	403	जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग	50000
68	404	सेठ आर.सी.एस. कला-वाणिज्य महा., दुर्ग	150000
69	406	रुँगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, दुर्ग	80000
70	423	कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाईनगर	350000
71	426	भिलाई नायर समाजम् महा., सेक्टर-8, भिलाई	40000
72	427	तक्षशिला महा., इंजीनियर्स भवन, सिविक सेंटर, भिलाईनगर	40000
73	428	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाईनगर	180000
74	430	सॉई महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई	100000
75	434	भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर-9, भिलाईनगर	80000
76	435	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, हुडको, भिलाई	80000
77	441	सेंट थॉमस महाविद्यालय, भिलाईनगर	100000
78	448	एम.जे. कॉलेज ऑफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, कोहका-जुनवानी रोड, भिलाई	50000
79	450	जी.डी. रुग्मटा कॉलेज ऑफ साइंस संड टेक्नालॉजी, भिलाई	80000
80	457	इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, वैशालीनगर	120000
81	458	नागरिक कल्याण महा., नंदिनीनगर	100000
82	461	शासकीय महाविद्यालय, भिलाई-3	150000

36 20/10/08

83	463	शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उत्तई	100000
84	464	शासकीय महाविद्यालय, पाटन	120000
85	465	शासकीय महाविद्यालय, जामगाँव आर.	60000
86	468	शासकीय चन्दूलाल चंद्राकर महाविद्यालय, धमधा	100000
जिला—बेमेतरा			
87	501	शासकीय पं.ज.ला.ने. कला एवं वाणिज्य महा., बेमेतरा	180000
88	502	शासकीय पं. देवीप्रसाद चौबे महा., साजा	100000
89	503	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बेरला, दुर्ग	70000
90	504	शासकीय महाविद्यालय, थानखम्हरिया, दुर्ग	50000
91	505	शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय, नवागढ़	70000
जिला—बालोद			
92	551	शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बालोद	200000
93	552	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा	100000
94	553	शासकीय महाविद्यालय, अरभरीकला	30000
95	554	शासकीय शहीद कौशल यादव महा., गुण्डरदेही	60000
96	556	शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डॉडीलोहारा	80000
97	558	शासकीय नवीन महाविद्यालय, गुरुर	100000
98	561	शासकीय कंगला मांझी महाविद्यालय, डौडी	50000
99	562	शासकीय एन.सी.जे. महाविद्यालय, दल्लीराजहरा	100000
100	564	शासकीय महाविद्यालय, खेरथा	80000
जिला—कर्वीरधाम			
101	601	आचार्य, पंथ श्री गृन्थमुनि नाम साहेब शास. महा. कर्वर्धा	300000
102	602	शास. राजमाता विजया राजे सिंधिया कन्या महा., कर्वर्धा	60000
103	605	स्व. श्री डी.पी. चौबे शास. महाविद्यालय, गण्डई	80000
104	606	शास. गजानंद माधव मुकितबोध महा., सहस्रपुर लोहारा	30000
105	607	नवीन शासकीय महाविद्यालय, बोडला	60000
106	608	शासकीय नवीन महा., पाण्डातराई	50000
जिला—राजनांदगांव			
107	651	शासकीय दिग्भिजय महाविद्यालय, राजनांदगांव	300000
108	655	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव	80000
109	657	शासकीय कमलादेवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव	150000

2960 000

110	665	शासकीय लालचक्धर शाह महा., अम्बागढ़ चौकी	150000
111	666	शासकीय वीरांगना अवतिबाई महा., छुरिया खदान	60000
112	667	शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महा., छुरिया	50000
113	668	शासकीय उपाधि महाविद्यालय, डोंगरगाँव	100000
114	669	शासकीय पं.ज.ला.ने. महा., डोंगरगढ़	100000
115	670	शासकीय महाविद्यालय, घुमका	50000
116	671	शासकीय रानी रशिम देवी सिंह महा., खेंगड़	120000
117	672	शासकीय कुंजबिहारी चौबे महाविद्यालय, लालबहादुर नगर	50000
118	673	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मानपुर	60000
119	674	शासकीय वीरांगना रानी अवतिबाई कला—वाणि. महा., रामाटोला	20000
120	675	शासकीय महाविद्यालय, मोहला	40000
कुल राशि			1,21,40,000

800/-

यांत्रिकी विभाग

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
“स्वर्ण जयन्ती वर्ष”

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-mail - adm.prsu@yahoo.in

क्रमांक १। / वि.वि.यंत्री / 2014

रायपुर, दिनांक १०/०२/२०१४

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के भवन निर्माण समिति की बैठक शुक्रवार दिनांक 07.02.2014 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

- | | |
|--|------------------|
| 1. डॉ. एस. के. पाण्डेय, कुलपति | — अध्यक्ष |
| 2. श्री राजेश त्रिपाठी विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग | — सदस्य |
| (एन.आई.टी. रायपुर) | |
| 3. श्री के. के. चन्द्राकर, कुलसचिव | — सचिव |
| 4. श्री बी० सी० विश्वास (वित्त नियंत्रक) | — सदस्य |
| 5. श्री केशव प्रसाद तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री
(सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि.) | — सदस्य |
| 6. श्री जयप्रकाश चौरसिया, उपयंत्री, लो.नि.वि. | — विशेष आमंत्रित |
| 7. श्री अरविंद डे, उपयंत्री, लो.नि.वि. | — विशेष आमंत्रित |
| 8. श्री उमापति रस्तोगी, प्रभारी यांत्रिकी | — विशेष आमंत्रित |

विषय क्रमांक-1 भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.09.2013 के कार्यवृत्त को सम्पूष्टि प्रदान करना ।

निर्णय:

भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.09.2013 के कार्यवृत्त को सम्पूष्टि प्रदान की गई ।

विषय क्रमांक-2 दिनांक 07.09.2013 को आयोजित भवन निर्माण समिति के निर्णय पर की गई कार्यवाही ।

निर्णय: दिनांक 07.09.2013 को आयोजित भवन निर्माण समिति की बैठक के निर्णय पर कार्यवाही की जानकारी दी गई ।

विषय क्रमांक-3 लोक निर्माण विभाग को डिपाजिट वर्क के अंतर्गत प्रदान की गई राशि से किये गये तथा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा ।

निर्णय: लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा डिपाजिट वर्क के अंतर्गत उन्हें प्रदान की गई राशि के अंतर्गत निर्माणाधीन भवनों एवं अन्य कार्यों के प्रगति के संबंध में जानकारी प्रदान की गई (सूची संलग्न) ।

विषय क्रमांक-4 विवि० के भूगोल भवन के मूल्यांकन के सम्बंधों में विश्वविद्यालय द्वारा चयनित एजेंसी में पिल्लीवार एड एसो० आर्कटेक्ट रायपुर से मूल्यांकन कराया गया । जिसे लो०नि० विभाग के कार्यपालन अभियंता द्वारा अनुमोदन किया गया । भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 09.07.2013 में लिए निर्णय अनुसार श्री केशव प्रसाद तिवारी विवि० यंत्री (सेवा निवृत्त कार्यपालन अभियंता लो०नि० विभाग) को भूगोल भवन का अन्तिम देयक तैयार करने अधिकृत किया गया, तथा जो आईटम एम्बी में रिकार्ड नहीं किये गये हैं उन्हे एम्बी में रिकार्ड करा कर अन्तिम देयक तैयार करने अधिकृत किया गया । ताकि ठेकेदार श्री प्रकाश तिवारी को भुगतान किया जा सके ।

भवन निर्माण समिति के निर्णय के अनुसार श्री केशव प्रसाद तिवारी विवि० यंत्री द्वारा अन्तिम देयक तैयार किया गया, तथा सामान्य प्रशासन के आदेश क्रमांक 7525 / सा०प्रश० / 2013, रायपुर दिनांक 02.12.13 के द्वारा प्रकरण के परीक्षण हेतु दो सदस्यीय समिति की परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 26.12.2013 संलग्न अनुसार भवन में लगे लोहे के सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत की गई । रिपोर्ट के आधार पर भवन के आठवे रनिग बिल तक भवन में लगे लोहे की राशि ठेकेदार श्री प्रकाश तिवारी से कटौती की जा चुकी थी । तेरहवे बिल जो कि तत्कालीन सिविल प्रभारी यांत्रिकी द्वारा काटकर पुनः बनाया गया जिसमें मात्र रु० 1,06,127/- का भुगतान

ठेकेदार को कराया गया। संलग्न परीक्षण रिपोर्ट में लोहे से सम्बन्धित भुगतान एवं कटौती की मात्रा की सम्पूर्ण जानकारी दी गई है, तथा ठेकेदार श्री प्रकाश तिवारी को राशि रु० 9,22,521/- के भुगतान की अनुसंशा की गई है। अन्तिम देयक का भुगतान का विवरण निम्नानुसार हैः—

1-	Total value of work done	Rs	-	77,77,425=00
2-	Previous Bill Amount	Rs	-	<u>67,02,368=00</u>
3-	Amount to be Paid Previous Payment to Contractor	Rs	-	10,75,057=00
		Rs	-	<u>1,06,127=00</u>
				9,68,930=00 - 46409=00 = 9,22,521=00

Deductions

1-	Incom Tax @ 2.27%	Rs	-	24,404=00 - 2,800=00 = 21,604=00
2-	Com. Tax @ 2%	Rs	-	21,501=00 - 2,467=00 = 19,034=00
3-	Royaltee	Rs	-	5,271=00
4-	Water Charges	Rs	-	500=00
				<u>46,409=00</u>

Total Deductions

1-	Shri Prakash Tiwari Contractor	Rs	9,22,521=00
2-	S.B.I. RSU Incom Tax	Rs	21,604=00
3-	S.B.I. RSU Com. Tax	Rs	19,034=00
			<u>46,409=00</u>
		Total Payment	9,63,159=00

उपरोक्तानुसार कुल राशि रु० 9,63,159/- भुगतान हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

निर्णयः भूगोल भवन निर्माण के सम्बन्ध में विद्विद्वारा अधिकृत मूल्यांकन हेतु नियुक्त ऐजेसी में पिल्लीवार ऐसो० रायपुर द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट जिसे लो० निद्विभाग संभाग क्र० ३ के कार्यपालन अभियंता द्वारा सत्यापन किया गया। तदअनुसार विद्विद्वारा यंत्री श्री केशव प्रसाद तिवारी (सेवा निवृत्ति कार्यपालन अभियंता लो० निद्विभाग) के द्वारा अन्तिम देयक तैयार किया गया। जिसका परीक्षण विद्विद्वारा प्रशासन के आदेश अनुसार दो सदस्यीय समिति ०१. श्री राजेश त्रिपाठी (Hod Civil Engg.) एवं ०२. श्री केशव प्रसाद तिवारी विद्विद्वारा परीक्षण किया गया। तदअनुसार ठेकेदार श्री प्रकाश तिवारी के पक्ष में कुल देयक राशि रु० 9,63,159/- के भुगतान का अनुमोदन किया गया।

चूंकि भूगोल भवन के अन्तिम देयक का भुगतान काफी दिनों से लम्बित था । लोहे की छड़ प्रदाय करने सम्बधीं जांच विचाराधीन हैं । अतः ठेकेदार श्री प्रकाश तिवारी से उक्त राशि भुगतान के पुर्व शपथ-पत्र लिया जावे कि भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई विवाद होता है अथवा कोई राशि जमा करने कहां जाता है तो विविवि के निर्णय को स्वीकार करते हुए जमा करने को तैयार रहेगे ।

विषय क्रमांक-5 विविवि के ट्राइबल स्टडीज (अधुरे) भवन का मूल्यांकन फर्म में पिल्लीवार एंड एसोस रायपुर के द्वारा किया गया मूल्यांकन अनुसार किये गये कार्य का देयक श्री केपी० तिवारी विविवि यंत्री द्वारा तैयार किया गया । देयक अनुसार ठेकेदार फर्म में कनैन्हया लाल मगंतराम को राशि 4,34,377/- (रुपये चार लाख चौतिस हजार तीन सौ सतहत्तर मात्र) भुगतान हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

निर्णयः विविवि के ट्राइबल स्टडीज (अधुरे) भवन के प्रस्ताव अनुसार ठेकेदार फर्म में कनैन्हया लाल मगंतराम को राशि 4,34,377/- (रुपये चार लाख चौतिस हजार तीन सौ सतहत्तर मात्र) भुगतान हेतु अनुमोदन किया गया ।

चूंकि ट्राइबल स्टडीज (अधुरे) भवन के अन्तिम देयक का भुगतान काफी दिनों से लम्बित था । लोहे की छड़ प्रदाय करने सम्बधीं जांच विचाराधीन हैं । अतः ठेकेदार फर्म में श्री कनैन्हया लाल मगंतराम से उक्त राशि भुगतान के पुर्व शपथ-पत्र लिया जावे कि भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई विवाद होता है अथवा कोई राशि जमा करने कहां जाता है तो विविवि के निर्णय को स्वीकार करते हुए जमा करने को तैयार रहेगे ।

विषय क्रमांक-06. विविवि के बायो-टेक्नॉलाजी के अधुरे भवन के शेष कार्यों हेतु कार्यपालन अभियंता लो०नि० विभाग संभाग क्र० ३ रायपुर से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु 62.96 लाख अनुमोदन पर विचार करना तथा कार्य डिपार्जिट वर्क के अंतर्गत कराये जाने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना । यहां पर यह उल्लेखनीय हैं कि उक्त अधुरे भवन की अब तक किये गए कार्य की कुल लागत रु० 52,00,071/- का भुगतान किया जा चुका है । इसका कुल कान्ट्रेक्ट राशि रु० 92,44,381/- है । चूंकि लोक निर्माण विभाग द्वारा शेष कार्यों हेतु रु० 62.96 लाख का प्राक्कलन प्रस्तुत किया हैं अतः अतिरिक्त व्यय की राशि रु० 29,48,381/- होगी । अतः शेष कार्य पूरा कराने हेतु अतिरिक्त व्यय की राशि का प्रावधान करते हुए कुल लागत (शेष कार्य के लिए) रु० 62.96 लाख स्वीकृत हेतु प्रस्तुत ।

निर्णय: विधि के बायो-टेक्नॉलॉजी के अधुरे भवन के शेष कार्यों हेतु कार्यपालन अभियंता लो०नि० विभाग संभाग क्र० ३ रायपुर से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु 62.96 लाख अनुमोदन किया गया तथा कार्य डिपाजिट वर्क के अन्तर्गत कराये जाने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि उक्त अधुरे भवन की अब तक किये गए कार्य की कुल लागत रु० 52,00,071/- का भुगतान किया जा चुका है। इसका कुल कान्ट्रैक्ट राशि रु० 92,44,381/- है। चुकिं लोक निर्माण विभाग द्वारा शेष कार्यों हेतु रु० 62.96 लाख का प्राक्कलन प्रस्तुत किया है अतः अतिरिक्त व्यय की राशि रु० 29,48,381/- होगी। अतः शेष कार्य पूरा कराने हेतु अतिरिक्त व्यय की राशि का प्रावधान करते हुए कुल लागत (शेष कार्य के लिए) रु० 62.96 लाख राशि का अनुमोदन करते हुए यह कार्य डिपाजिट वर्क के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांक-07. विधि के अकादामिक स्टाफ कॉलेज भवन की प्लीन्थ की ऊंचाई बढ़ाने हेतु लो०नि० विभाग के कार्यपालन अभियंता से प्राप्त पत्र अनुसार अनुमानित व्यय राशि रु० 13.00 लाख के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: विधि के अकादामिक स्टाफ कॉलेज भवन की प्लीन्थ की ऊंचाई बढ़ाने हेतु लो०नि० विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। विस्तृत प्राक्कलन लो०नि० विभाग से प्राप्त किया जावे।

विषय क्रमांक-08. पं० रविशंकर शुक्ल विधि के स्टाफ क्वाटर में बाहरी दीवारों के प्लास्टर एवं पुताई कार्य हेतु कार्यपालन अभियंता लो०नि० विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु० 46.79 लाख के अनुमोदन पर विचार करना। कार्य डिपाजिट वर्क के अन्तर्गत कराने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय: पं० रविशंकर शुक्ल विधि के स्टाफ क्वाटर की रेनोवेशन हेतु कार्यपालन अभियंता लो०नि० विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु० 46.79 लाख के अनुमोदन कर, कार्य डिपाजिट वर्क के अन्तर्गत कराने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई तथा प्राक्कलन राशि की तैतीस प्रतिशत राशि कार्यपालन अभियंता लो०नि० विभाग संभाग क्र० ३ को भुगतान की अनुसंशा की गई।

विषय क्रमांक-09. पं० रविशंकर शुक्ल वि०वि० स्थित स्टुडेन्ट रिक्रीयेशन हॉल में केबिन निर्माण कराये जाने हेतु कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु० 17.18 लाख के अनुमोदन पर विचार करना तथा कार्य डिपाजिट वर्क के अन्तर्गत कराये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना ।

निर्णय : पं० रविशंकर शुक्ल वि०वि० स्थित स्टुडेन्ट रिक्रीयेशन हॉल में केबिन निर्माण कराये जाने हेतु कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु० 17.18 लाख के अनुमोदन किया गया तथा कार्य डिपाजिट वर्क के अन्तर्गत कराये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई तथा प्राक्कलन राशि की तैतीस प्रतिशत राशि कार्यपालन अभियंता लो०नि० विभाग संभाग क्र० ३ को भुगतान की अनुसंशा की गई ।

विषय क्रमांक-10. पं० रविशंकर शुक्ल वि०वि० के लाईब्रेरी फेस टू का नवीनीकरण कार्य हेतु कार्यपालन अभियंता लो० नि० विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु० 35.83 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं कार्य डिपाजिट वर्ग के अन्तर्गत कराये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना ।

निर्णय : पं० रविशंकर शुक्ल वि०वि० के लाईब्रेरी फेस टू का नवीनीकरण कार्य हेतु कार्यपालन अभियंता लो० नि० विभाग से प्राप्त प्राक्कलन को संशोधन कर राशि रु० 28.60 लाख के अनुमोदन पर विचार किया गया एवं कार्य डिपाजिट वर्क के अन्तर्गत कराये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई तथा प्राक्कलन राशि की तैतीस प्रतिशत राशि कार्यपालन अभियंता लो०नि० विभाग संभाग क्र० ३ को भुगतान की अनुसंशा की गई ।


विषय क्रमांक-11. वि०वि० के नोडल स्टुडेन्ट सेन्टर (एन आई सी) भवन के पास से विज्ञान भवन के कोने तक ग्रिल बाऊझी-वॉल निर्माण हेतु कार्यपालन अभियंता लो० नि० विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु० 12.17 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं कार्य डिपाजिट वर्ग के अन्तर्गत कराये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना ।

निर्णय : कार्यपालन अभियंता लो० नि० विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु० 12.17 लाख के अनुमोदन किया गया एवं कार्य डिपाजिट वर्क के अन्तर्गत कराये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई तथा प्राक्कलन राशि की तैतीस प्रतिशत राशि कार्यपालन अभियंता लो० नि० विभाग संभाग क्र० 3 को भुगतान की अनुसंशा की गई ।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न की गई ।



कुलकर्णी




कुलसचिव

पृ. क्रमांक १२ / वि.वि.यंत्री / 2014
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक १० / ०२ / 2014

1. भवन निर्माण समिति के समस्त सदस्यों की ओर इस आशय के साथ अग्रेषित कि कार्यवृत्त में कोई सुधार किया जाना है, तो कृपया सूचित करें ।
2. कुलपित के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अनुदान प्रकोष्ठ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. वित्त नियंत्रक, पंरविशक्तर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



प्रभारी अधिकारी
यांत्रिकी विभाग

DEPOSIT WORK OF PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY RAIPUR (C.G.)

S. No.	Name of Work	Agr. No.	Name of Contractor	A.A. Amount (Lacs)	Deposit Amount (Lacs)	Cheque Date of Deposit Amount	Estt. Amount (Lacs)	Status	Complition Percentage	Date of Starting	Expenditure as per Bill (in Lacs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E.C. Meeting Hall (G.F.)	54/DL 2012-13	Shri Biresh Shukla	30.40	15.00	19/01/2012	23.90	Work is Complete	100%	25/9/2012	20.47
2	Science Research Lab. (G.F.+FF)	109/DL 2012-13	M/s S.M.S. Construction	49.00	49.00	19/01/2012	47.11	Work is Complete	100%	01/02/2013	21.34
3	Nodal Instrument Centre (G.F.+FF)	124/DL 2012-13	M/s S.M.S. Construction	25.00	12.50	19/01/2012	23.07	Work is Complete	100%	15/2/2013	14.97
4	Teacher Multi Stories flat (G – Type Qrt.) (G.F.+FF)	99/DL 2012-13	M/s Ujjwal Construction	72.70	35.50	19/01/2012	71.02	Work is in progress	40%	31/12/2012	21.26
5	Staff Quarter (I – Type) (G.F.+FF)	106/DL 2012-13	M/s Anew Construction	52.77	25.00	19/01/2012	52.20	Work is Complete	100%	01/02/2013	21.16
6	Renovation of Science Block	108/DL 2012-13	M/s Anew Construction	50.00	25.00	19/01/2012	47.10	Work is in progress	50%	01/02/2013	
7	Law Moot Court (G.F. + F.F.)	01/DL 2013-14	M/s Sai Krupa Nirman	30.61	15.00	13/03/2012	29.81	Work is in progress	75%	04/10/2013	14.43
8	Cluster class Room (2 Nos.) (i) Geography Seminar hall (ii) Art Block Room No. 20	107/DL 2012-13	M/s Anew Construction	75.00	37.50	13/03/2012	32.36	i) Work is Complete ii) Work is in progress	80%	01/02/2013	5.21

S. No.	Name of Work	Agr. No.	Name of Contractor	A.A. Amount (Lacs)	Deposit Amount (Lacs)	Cheque Date of Deposit Amount	Estt. Amount (Lacs)	Status	Complition Percentage	Date of Starting	Expenditure as per Bill (in Lacs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Animal House (F.F.)	47/DL 2012-13	Shri Rajiv Kumar Gupta	6.17	2.50	19/01/2012	6.17	Work is Completed	100%	09/01/2012	3.50
10	Student recreation Centre. (G.F. + F.F.)	126/DL 2012-13	M/s Anew Construction	50.95	10.00	19/01/2012	46.97	Work is in progress	75%	15/2/2013	6.56
11	Renovation of Library Building	125/DL 2012-13	M/s Anew Construction	50.00	25.00	13/03/2012	44.16	Work is in progress	90%	15/2/2013	10.99
12	Harbal Garden	129/DL 2012-13	M/s Vipin Kumar Jha	10.27	5.00	13/03/2012	9.77	Work is Completed	100%	22/2/2013	7.14
13	Construction of Basket ball Court (2Nos. Court)	130/DL 2012-13	Shri Nand Kishore Bais	12.19	6.00	13/03/2012	9.54	Work is in Completed	100%	22/2/2013	10.11
14	Brick work & rolling shutter work at exam centre at Pt. R.S.U.	39/DL 2013-14	Shri Goverdhan Sharma	2.73	2.73	31/03/2011	5.76	Work is Completed	100%	25/08/2013	4.45
				3.77	3.77	31/03/2013					
15	Construction of Boundry wall at Adminstrative Building at Pt. R.S.U. Raipur (Part -I, II)	36/DL 2013-14	M/s Marval Construction	32.67	10.78	31/3/2013	14.49	Work is in progress	75%	17/07/2013	
		37/DL 2013-14	M/s Marval Construction				17.46				
16	Detail Estimate of Vehicle Parking Shed in Management Centre at Pt. R.S.S.U.	45/DL 2013-14	Shri Goverdhan Sharma	8.11			8.03	Work is in Completed	70%	01/09/2013	8.09

S. No.	Name of Work	Agr. No.	Name of Contractor	A.A. Amount (Lacs)	Deposit Amount (Lacs)	Cheque Date of Deposit Amount	Estt. Amount (Lacs)	Status	Complition Percentage	Date of Starting	Expenditure as per Bill (in Lacs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Construction of Garage in Vice chancellor Residence Prinses	38/DL 2013-14	Shri Goverdhan Sharma	8.24	8.24	31/03/2013	7.29	Work is in Completed	100%	02/09/2013	6.48
18	Construction of Academy Staff College Building	92/DL 2013-14	M.G.M. Associates Raipur	152.00	123.74	19/01/2012	158.74	Up to plinth level	20%	21/09/2013	20.40
19	Construction of Utility Centre Building	85/DL 2013-14	A.V.R. Construction Raipur	236.32	2.57	19/01/2012	300.00	Up to Plinth level	20%	15/09/2013	16.14
20	Construction of Girls Hostel Part – I Building	86/DL 2013-14	A.V.R. Construction Raipur	254.82	130.02	19/01/2012	286.00	Surface dressing (Not Started)	1%	27/09/2013	
21	Renovation of Teacher's Hostel (G.F.+F.F.)	87/DL 2013-14	Ashok Kumar Singh	41.96	10.00	21/05/2013	41.96	Work is in progress	60%	15/09/2013	5.9
22	Construction of Corridor at E.C. Meeting Hall front at Pt. R.S.U. Raipur	93/DL 2013-14	M.G.M. Associates Raipur	12.44	4.10	31/03/2013	12.44	Work is in progress	50%	16/09/2013	1.38
23	Construction of 1st floor E.C. Meeting hall at Pt. R.S.U. Raipur		M.G.M. Associates Raipur	20.76	6.85	31/03/2013	20.76	Work is in progress	35%		
24	Construction of Boundary wall at around Auditorium at Pt. R.S.U. Raipur	91/DL 2013-14	M/s Tripathi Builders Raipur	33.45			29.31	Work is in progress	80%	03/10/2013	8.15

S. No.	Name of Work	Agr. No.	Name of Contractor	A.A. Amount (Lacs)	Deposit Amount (Lacs)	Cheque Date of Deposit Amount	Estt. Amount (Lacs)	Status	Complition Percentage	Date of Starting	Expenditure as per Bill (in Lacs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Construction of Boundary wall (3 Km) around University	108/DL 2013-14	M/s Padmavati Riyalthiesh	251.69	82.83	31/03/2013	253.43	Work is in progress	30%		
26	Construction of Boundary wall at Kota Stadium Raipur (Part -I)	40/DL 2013-14	Shri Goverdhan Sharma	35.50	11.715	31/03/2013	35.30	Work is in progress			4.36
27	Construction of Boundary wall at Kota Stadium Raipur (Part -II)	41/DL 2013-14	Shri Goverdhan Sharma					Work is in progress	30%		
28	Construction of 2 Nos. Hall at Maths & Statics Building at Pt. R.S.U. Raipur		Shri Goverdhan Sharma	18.37	4.09	09/10/2013		Work is in progress	40%		
	Total			1627.89	664.44		1634.15				232.49

Sub Engineer

Sub Divisional Officer
PWD Sub Dn. No. 3 (B&R)
Raipur (C.G.)

DEPOSIT WORK OF PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY RAIPUR (C.G.)

S.No.	Name of Work	A.A. Amount	Deposit Amount	Date of Receiving Cheque	Estt. Amount	Status
1	2	3	4	5	6	7
1	Construction of Bio Science Building Extension (G.F. + F.F.)	192.46 Lacs	6199000	09/10/2013	187.84 Lacs	विस्तृत प्रावकलन प्रस्तुत किया गया, निविदा हेतु निविदा दर सूची प्रस्तुत
2	Construction of N.C.N.R. Building. At Pt. Ravishankar Shukla University		75.85	05/12/2013	456.11 Lacs	प्रथम स्तरीय प्रावकलन प्रस्तुत एवं विस्तृत प्रावकलन तैयार किया जा रहा है।
3	Construction of Pharmacy building (G.F.Conference Hall + F.F. 1 Nos. Room)	82.07 Lacs	27.08 Lacs	31/03/2013	81.46 Lacs	विस्तृत प्रावकलन प्रस्तुत किया गया
4	Renovation of ART Block External + Internal Toilet (All Deptt. G.F. + F.F. + S.F.)	59.96 Lacs	25.00	19/01/2012	85.00 Lacs	विस्तृत प्रावकलन प्रस्तुत किया गया
5	Renovation of Zynmasium & Badminton Court Physical education deptt. At Pt. R.S.U. Raipur	34.28 Lacs	1131000.00	09/10/2023	34.28 Lacs	Under Tender Process
6	Construction of Golden Jubilee at Pt. R.S.U. Raipur	49.12 Lacs	1620960.00	31/03/2013	49.00 Lacs	Under Tender Process
7	Construction of Physical education Building at Pt. R.S.U. Raipur (In complete part)	70.07 Lacs	2312000.00	09/10/2013	70.07 Lacs	Under Tender Process
8	Renovation of Azad & Gandhi Hostel at Pt. RSU Raipur	46.30 Lacs 77.72 Lacs	2564000.00 1528000.00	09/10/2013	(77.72+46.30) 124.02 Lacs	Under Tender Process
9	Renovation of Girls Hostel at Pt. RSU Raipur	63.78 Lacs	2105000.00	09/10/2013	63.78 Lacs	Under Tender Process

S.No.	Name of Work	A.A. Amount	Deposit Amount	Date of Receiving Cheque	Estt. Amount	Status
1	2	3	4	5	6	7
10	Renovation of Staff Qtrs. at Pt. RSU Raipur				46.79 Lacs	विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत 07.02.13
11	Balance work of New Girls Hostel first floor extension at Pt. R.S.U. Raipur					पंचनामा हेतु पत्र लिखा गया ।
12	Renovation of Library Building Phase - II at Pt. RSU Raipur				35.83 Lacs	विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत 07.02.13
13	Renovation of Art Block Building Phase - II at Pt. RSU Raipur					विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है ।
14	Extension of Pharmacy Building Phase - II at Pt. R.S.U. Raipur					विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है ।
15	Construction of Cabin at Student Recreation Hall at Pt. RSU				17.18 Lacs	विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत 07.02.13
16	Ladies Common Room	55.97 Lacs	25.00 Lacs	13/03/2012		Pending
17	Additional Room (Server Room) Construction	11.87 Lacs				Pending
18	Boundary wall Computer Science S.O.S	—			22.58 Lacs	Pending
19	Construction of Vehicle Shed at Maths and Statics Building at Pt. R.S.U. Raipur				5.66 Lacs	Pending

Sub Engineer
PWD Sub Dn. No. 3 (B&R)
Raipur (C.G.)

Sub Divisional Officer
PWD Sub Dn. No. 3 (B&R)
Raipur (C.G.)

// टीप //

डॉ. इन्दु अंनत, तत्कालीन कुलसचिव के पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स राशि के भुगतान हेतु माननीय कार्यपरिषद से अनुमोदनार्थ विषयक ।

.....000.....

डॉ. इन्दु अंनत, तत्कालीन कुलसचिव के पुनरीक्षित वेतनमान 37400-67000 में दिनांक 24.07.2007 से 30.04.2010 तक के कार्यरत अवधि के एरियर्स राशि रु. 7,64,270.00(सात लाख चौसठ हजार दो सौ सत्तर रुपये मात्र) के भुगतान पूर्व माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु सादर प्रस्तुत ।

वित्त नियंत्रक
दृ. र.श.वि.पि. रायपुर (छ.ग.)



(3) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

(30)

//आदेश

9876543210

रायपुर, दिनांक

3 /01/2014

क्रमांक/ 65 /स्था./सा.प्रशा./2014

डॉ. श्रीमती इंदु अनन्त, तत्कालीन कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को एउटोरीफिट देतनमान 37400-67000+ग्रेड देतन 8900 में इस विश्वविद्यालय में कार्यरत अवधि दिनांक 24.07.2007 से 01.05.2010 तक का निम्नानुसार देतन एरियर्स भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.	दिनांक	पे बैंड	ग्रेड पे	योग
1.	24.07.2007	43930	8900	52830
2.	01.07.2008	45520	8900	54420
3.	01.07.2009	47160	8900	56060

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 3 /01/2014

पृ. क्रमांक/ 66 /स्था./सा.प्रशा./2014

प्रतिलिपि :-

1. डॉ. श्रीमती इंदु अनन्त, कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.),
 2. सहायक कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.),
 3. वित्त नियंत्रक,
 4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निर्जी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(58) ✓

उप कुलसचिव (प्रशा.)



विषयः— 56 विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ अग्रिम चंदा राशि रु. 2589627/- के भुगतान करने पर विचार।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में 56 विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ चंदा भेजे जाने हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्रों एवं विश्वविद्यालय के वेबसाइट के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई। इस हेतु 5 फर्मों ने निविदा प्रस्तुत की। प्राप्त भावपत्रों के अवलोकन एवं परीक्षण उपरांत अधिकतम छूट के आधार पर मेसर्स Total Library Solutions (India), New Delhi से क्रय की विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा को माननीय कार्यपरिषद द्वारा प्राप्त अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात Total Library Solutions (India), New Delhi से विदेशी शोध पत्रिकाओं के लिये राशि रु. 2589627/- का देयक प्राप्त किया गया।

अतएव प्रस्तावित है कि :—

1. देयक राशि रु. 2589627/- का भुगतान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से पुस्तक/ शोध पत्रिका क्रय हेतु प्राप्त राशि रु. 25.00 लाख में से 7.00 लाख तथा शेष राशि रु. 18,89,627/- का भुगतान विश्वविद्यालय बजट : 2013–14 : ग्रंथागार : पुस्तक एवं पत्रिका मद राशि रु. 38 लाख में से किया जाना प्रस्तावित है।
2. देयक का भुगतान फर्म एवं विश्वविद्यालय के मध्य एग्रीमेण्ट एवं फर्म द्वारा सम्पूर्ण देयक राशि की बैंक गारन्टी प्रदान किये जाने के पश्चात किया जाना प्रस्तावित है।

56 विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ चंदा भेजने हेतु कुल राशि रु. 2589627/- भुगतान स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय ग्रंथपाल
३१/२/१५

विषय :— 18 प्राध्यापकों एवं 08 सहायक प्राध्यापकों के कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण तिथि से एरियर्स का भुगतान की राशि 2673636.00 स्वीकृत किए जाने के संबंध में विचार करना।

टीप — विश्वविद्यालय के सामान्य प्रशासन के निम्नलिखित आदेशों के अनुसार निम्नाकिंत 18 प्राध्यापकों / 08 सहायक प्राध्यापकों को कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण तिथि से एरियर्स का भुगतान किया जाना है जिसके गणना पत्रक का विवरण संबंधित के नाम के सम्मुख अंकित है।

1-Vide order no.7576/Adm./2012 dated 20/12/2012

2-Vide order no.7574/Adm./2012 dated 20/12/2012

3-Dr. A.K.Srivastava, Revised Order Vide order no.322/Adm./2013 dated 28/01/2013

4.Dr. Priyanvada Srivastava, Dr. Meeta Jha and Dr. Maya Verma Revised order Vide order no.1381/Adm./2013 dated 05/04/2013

SNo.	Name /Post	Amount	Empl.Count.	Total
Professors :-				
1.	Dr. C.D.Aghase (Period of 01.01.2009 to Dec. 2012)	184228.00	20955.00	205183.00
2.	Dr.A.K.Srivastava (Period of 05.03.2009 to Jan. 2013)	161757.00	19406.00	181163.00
3.	Dr.(Smt.) Priyanvada Srivastava (Period of 01.10.2009 to Dec. 2012)	239903.00	27043.00	266946.00
4.	Dr. M.K.Deb (Period of 27.07.2009 to Dec. 2012)	157622.00	17807.00	175429.00
5.	Dr.(Smt.) Maya Verma (Period of 01.07.2006 to April 2013)	162377.00	19491.00	181868.00
6.	Dr.R.N.Baghel (Period of 01.02.2010 to Dec 2012)	59594.00	7153.00	66747.00
7.	Dr.Shams Pervez (Period of 01.10.2009 to Dec 2012)	151279.00	17046.00	168325.00
8.	Dr.R.K.Bramhe (Period of 01.10.2009 to Dec 2012)	142045.00	17046.00	159091 .00
9.	Dr (Smt.) S.A.Bhoite (Period of 01.01.2010 to Dec 2012)	145398.00	16318.00	161716.00
10.	Dr (Smt.)Prabha Rohtagi (Period of 01.01.2011 to Dec 2012)	116318.00	13080.00	129398.00
11.	Dr (Smt.)Swarnlata Saraf (Period of 27.08.2010 to Dec 2012)	96463.00	11579.00	108042.00
12.	Dr N.K.Baghmar (Period of 01.01.2012 to Dec 2012)	49671.00	5613.00	55284.00
13.	Dr (Smt.)Meeta Jha (Period of 09.09.2010 to Dec 2012)	125009.00	14079.00	139088.00
14.	Dr (Smt.)Nameeta Bramhe (Period of 16.09.2010 to Dec 2012)	109019.00	12315.00	121334.00
15.	Dr (Smt.)Prabhawati Shukla (Period of 10.11.2010 to Dec 2012)	154722.00	17596.00	172318.00
16.	Dr D.P.Bisen (Period of 06.04.2011 to Dec 2012)	39549.00	4453.00	44002.00
17.	Dr R.K.Pradhan (Period of 01.08.2011 to Dec 2012)	70447.00	7950.00	78397.00
18.	Dr (Smt.)Aditi Poddar (Period of 01.07.2012 to Dec 2012)	15347.00	1739.00	17086.00

Astt. Professors :-

1. Shri S.K.Indurkar	73097.00	8686.00	81783.00
	(Period of 02.09.2010 to Dec. 2012)		
2. Shri Jitendra Premi	-	-	-
	(Period of 08.10.2012 to Jan. 2013)		
3. Dr.S.R.Kashya	63109.00	7571.00	70680.00
	(Period of 01.10.2009 to Dec. 2012)		
4. Dr.(Smt.)Madhulata Bara	53872.00	6461.00	60333.00
	(Period of 25.11.2011 to Dec. 2012)		
5. Dr.Kamlesh Shukla	7861.00	942.00	8803.00
	(Period of 15.09.2012 to Dec 2012)		
6. Dr.Asfaq Qureshi	7861.00	942.00	8803.00
	(Period of 15.09.2012 to Dec 2012)		
7. Shri A.K.Sahu	6066.00	728.00	6794.00
	(Period of 01.10.2009 to Dec 2012)		
8. Dr.M.L.Satnami	4485.00	538.00	5023.00
	(Period of 17.10.2012 to Dec 2012)		

Total	Rs.	2397099.00	276537.00	2673636.00
-------	-----	------------	-----------	------------

अतः उपरोक्त आदेशानुसार विश्वविद्यालय के 18 प्राध्यापकों / 08 सहायक प्राध्यापकों को कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण तिथि से एरियर्स की सकल राशि रूपये 2673636.00 (छब्बीस लाख तिहत्तर हजार छ: सौ छत्तीस रुपये मात्र) भुगतान की स्वीकृति ^{माननीय} कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।



विचारार्थी
नियंत्रक

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :- छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रु0 76,64,800.00 भुगतान स्वीकृति हेतु ।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दि0 20.09.13 के पूरक विषय क्र0 10 में हुए स्वीकृति अनुसार छत्तीसगढ़ संवाद रायपुर को वर्ष 2014 के वार्षिक, पूरक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए निम्नानुसार उत्तर पुस्तिका पत्र क्र 25/विकास/उ.पु./13 दि0 30.10.13 के द्वारा मुद्रित कर आपूर्ति करने हेतु आदेशित किया गया था ।

क्र0	उ0पु0 का विवरण	विवरण					
		पेपर साइज़	पुस्तिका की पृष्ठ संख्या	पेपर की गुणवत्ता	मुद्रण संख्या	उ0पु0 निमाण दर	
01.	मुख्य उत्तर पुस्तिका	9"X11"	24 पृष्ठ	80 GSM मैपलिथो पेपर, एक कलर में (कव्हर एवं कमांक सहित)	20 लाख	रु. 02.56 प्रति नग	रु. 51,20,000.00
02.	पूरक उत्तर पुस्तिका	9"X11"	16 पृष्ठ	80 GSM मैपलिथो पेपर, एक कलर में (कव्हर एवं कमांक सहित)	10.50 लाख	रु. 01.76 प्रति नग	रु. 18,48,000.00
03	छ0 ग0 संवाद का चार्जस 10%					रु. 6,96,800.00	
04	कुल रु. — (रु. छिह्तर लाख चौसठ हजार आठ सौ मात्र)					रु. 76,64,800.00	
05.	मुख्य उत्तर पुस्तिका की नंबरिंग Q - 00,00,001 से Q - 20, 00,000 तक पूरक उत्तर पुस्तिका की नंबरिंग Q - 00,00,001 से Q - 10, 50,000 तक						

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा देयक क्र0 393 दि0 07.02.2014 के द्वारा रु0 76,64,800.00 (रु0 छिह्तर लाख चौसठ हजार आठ सौ मात्र) भुगतान करने के लिए प्रस्तुत किया गया है । प्राप्त देयक को इंचार्ज, वि0 वि0 मुद्रणालय के द्वारा प्रमाणित किया गया है ।

अतः छत्तीसगढ़ संवाद को रु0 76,64,800.00 (रु0 छिह्तर लाख चौसठ हजार आठ सौ मात्र) भुगतान किये जाने की स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत ।

16-2-14

मान्य
११/२/२०१४

प्रति,

उप कुलसचिव (प्रशा.)
पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विषय :— धारणाधिकार की अवधि 01 वर्ष बढ़ाये जाने के संदर्भ में।

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक 443/स्था./सा. प्रशा./2014 दिनांक 24/01/2014

M/s
Econ
ग्रन्थालय
SCB
5/2/14

विषयान्तर्गत सूचित करना चाहती हूँ की गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा मेरे स्थायीकरण संबंधी कोई भी सूचना मुझे आज दिनांक 31/01/2014 तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः निवेदन है कि मेरे द्वारा धारणाधिकार की अवधि 01 वर्ष बढ़ाये जाने के संदर्भ में दिये गये आवेदन पर कार्यवाही करने की कृपा करें।


Susmita

सुश्री सुष्मा जैसवाल

सहायक प्राध्यापक
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि :-

- 01 ✓ कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।



VC S/33
5/2/14



कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु कार्यालयीन टीप:-

कु. सुषमा जैसवाल, तत्कालीन असिस्टेंट प्रोफेसर, कम्प्यूटर अध्ययनशाला वर्तमान में गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर ने सहायक प्राध्यापक पद पर धारणाधिकार की अवधि 01 वर्ष बढ़ाये जाने हेतु निवेदन किये हैं।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 484/सा.प्रशा./2012 दिनांक 02.02.2012 के द्वारा कु. सुषमा जैसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर पदभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 02.02.2012 से कार्यमुक्त करते हुये इन्हें दो वर्ष का धारणाधिकार स्वीकृत किया गया था।

विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 12 में किसी स्थायी कर्मचारी का अन्य पद पर नियुक्ति होने पर कार्यमुक्त की तिथि से दो वर्ष या उस पद पर स्थायी होने तक जो भी पहले हो तक के लिये ही धारणाधिकार स्वीकृति का प्रावधान है।

कु. सुषमा जैसवाल, तत्कालीन असिस्टेंट प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला को दिनांक 02.02.2012 से दो वर्ष का धारणाधिकार स्वीकृत किया गया है। तदनुसार इनकी दो वर्ष की धारणाधिकार की अवधि 01.02.2014 को पूर्ण हो चुकी है।

परिनियम 31 की कंडिका 12 के प्रावधानानुसार इन्हें दो वर्ष से अधिक अर्थात् दिनांक 01.02.2014 के पश्चात् और धारणाधिकार स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

अतः कु. सुषमा जैसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला को पूर्व में स्वीकृत धारणाधिकार को दिनांक 02.02.2014 से समाप्त किये जाने हेतु प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत।



कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु कार्यालयीन टीप:-

वर्ष 2004 से 2009 के मध्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त निम्नलिखित क्रमांक 01 से 33 में उल्लेखित अनुसार प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसरों तथा ग्रंथपाल एवं सहायक संचालक के स्थायीकरण प्रकरण कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय में वर्ष 2004 से 2009 के मध्य निम्नलिखित प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसरों तथा ग्रंथपाल एवं सहायक संचालक की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 2729/2004 एवं याचिका क्रमांक 1330/2004 के निर्णय के अध्यधीन दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में की गई है, उक्त अवधि में नियुक्त शिक्षकों की दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो चुकी है।

माननीय न्यायालय में उपरोक्त याचिका विचाराधीन रहने के कारण वर्ष 2004 से 2009 के मध्य नियुक्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसरों तथा ग्रंथपाल एवं सहायक संचालक का स्थायीकरण प्रकरण लंबित रहा है।

उपरोक्त दायर याचिका आरक्षण एवं महिला आरक्षण से संबंधित था। उक्त याचिका क्रमांक 2729/2004 एवं 1330/2004 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.11.2012 एवं 08.10.2013 के द्वारा प्रकरण खारिज कर दिया गया है। (निर्णय की प्रति संलग्न है)

अतः वर्ष 2004 से 2009 के मध्य नियुक्त निम्नलिखित शिक्षकों/अधिकारियों का स्थायीकरण प्रकरण के संबंध में विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	अध्ययनशाला	पदभार ग्रहण तिथि	परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि
1.	डॉ.(कु.) मिताश्री मित्रा, प्रोफेसर	मानव विज्ञान	27.08.2004	27.08.2006
2.	डॉ. बंशगोपाल सिंह, प्रोफेसर	मनोविज्ञान	28.08.2004	28.08.2006
3.	डॉ. सी.एल. पटेल, प्रोफेसर	विधि	10.09.2004	10.09.2006
4.	डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता, ग्रंथपाल	ग्रंथालय	08.10.2004	08.10.2006
5.	डॉ. श्रीमती स्वर्णलता सराफ, एसोसिएट प्रोफेसर	फार्मेसी	27.08.2004	27.08.2006
6.	डॉ. श्रीमती मिता झा, एसोसिएट प्रोफेसर	मनोविज्ञान	09.09.2004	09.09.2006
7.	डॉ. श्रीमती नमिता ब्रह्मे, एसोसिएट प्रोफेसर	भौतिकी एवं खगोल भौतिकी	16.09.2004	16.09.2006
8.	डॉ. अशोक कुमार प्रधान, असिस्टेंट प्रोफेसर	मानवविज्ञान	27.08.2004	27.08.2006
9.	श्री आलेख कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर	विधि	28.08.2004	28.08.2006
10.	डॉ.श्रीमती अनुभा सिंह गौर, असिस्टेंट प्रोफेसर	भौतिकी एवं खगोल भौतिकी	28.08.2004	28.08.2006
11.	श्री संतुराम कश्यप, असिस्टेंट प्रोफेसर	ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान	28.08.2004	28.08.2006
12.	श्री सुशील कुमार इंदुरकर, असिस्टेंट प्रोफेसर	प्रबंधन	02.09.2004	02.09.2006

13.	डॉ. जितेन्द्र कुमार प्रेमी, असिस्टेंट प्रोफेसर	मानविज्ञान	08.10.2004	08.10.2006
14.	डॉ. एच.के. पाठक, प्रोफेसर	गणित	08.04.2005	08.04.2007
15.	डॉ. डी.पी. बिसेन, एसोसिएट प्रोफेसर	भौतिकी एवं खगोल भौतिकी	06.04.2005	06.04.2007
16.	डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार, असिस्टेंट प्रोफेसर	प्राचीन भारतीय इतिहास	28.03.2005	28.03.2007
17.	डॉ. श्रीमती मधुलता बारा, असिस्टेंट प्रोफेसर	साहित्य एवं भाषा	11.05.2005	11.05.2007
18.	डॉ. एस.के. जाधव, प्रोफेसर	जैव प्रौद्योगिकी	26.09.2008	26.09.2010
19.	डॉ. बी.एस. ठाकुर, एसोसिएट प्रोफेसर	गणित	15.09.2008	15.09.2010
20.	श्री नंद कुमार चक्रधारी, असिस्टेंट प्रोफेसर	भौतिकी एवं खगोल भौतिकी	12.05.2008	12.05.2010
21.	डॉ. कमलेश कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर	जैव प्रौद्योगिकी	15.09.2008	15.09.2010
22.	डॉ. अफाक कुरैशी, असिस्टेंट प्रोफेसर	जैव प्रौद्योगिकी	15.09.2008	15.09.2010
23.	डॉ. श्रीमती मंजू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर	फार्मेसी	14.10.2008	14.10.2010
24.	डॉ. अम्बर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर	फार्मेसी	14.10.2008	14.10.2010
25.	डॉ.मनमोहन लाल सतनामी, असिस्टेंट प्रोफेसर	रसायन	17.10.2008	17.10.2010
26.	डॉ. दीपेन्द्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर	फार्मेसी	07.11.2008	07.11.2010
27.	डॉ. विशाल जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर	फार्मेसी	24.12.2008	24.12.2010
28.	श्री दिलीप तिक्की, सहायक संचालक	शारीरिक शिक्षा विभाग	23.09.2008	23.09.2010
29.	डॉ. शिवकांत प्रसाद, प्रोफेसर	जैविकी	22.10.2009	22.10.2011
30.	डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार, एसोसिएट प्रोफेसर	प्राचीन भारतीय इतिहास	14.10.2009	14.10.2011
31.	डॉ.श्रीमती प्रीति के. सुरेश, एसोसिएट प्रोफेसर	फार्मेसी	27.11.2008	27.11.2010
32.	डॉ. संजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर	कम्प्यूटर विज्ञान	29.10.2009	29.10.2011
33.	कु. सुषमा जैसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर	कम्प्यूटर विज्ञान	27.10.2009	27.10.2011

(F10)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

WRIT PETITION NO. 1330 /2004.

PETITIONERS

1. Akhilesh Pandey S/o Narsingh
Pandey Village & Post Bargoan
Tah. Pamgarh Distt. Janjgir-
Champa (C.G.)
2. Dr. R.P. Sahariya
Assistant Professor, Govt. J.M.P.
J.M.P. College, Takhatpur
Distt. Bilaspur (C.G.)
3. Yogendra Tiwari,
Assitant Professor ,Kamala
Nehru College, Korba Distt.
Korba (C.G.)
4. Dr. S.C. Tiwari
Assistant Professor, Kamala
Nehru College, Korba Distt.
Korba (C.G.)

VERSUS

RESPONDENTS

1. State ~~of~~ Government of
Chhattisgarh , Through :
Secretary, Higher Education
Department, Secretariate D.K.S.
Bhawan, Raipur Distt. Raipur C.G.
2. Pt. Ravishankar Shukla
University, Raipur, Through :
Registrar, Pt. Ravishankar
Shukla University, Raipur C.G.
3. University Grant Commission
Through : The Secretary,
Bahadur Shah Jafar Marg New
Delhi, 110-002 .

PETITION UNDER ARTICLE 226/227 OF THE CONSTITUTION
OF INDIA FOR ISSUANCE OF A WRIT OF APPROPRIATE NATURE
OR DIRECTION OR ORDER OR LIKE NATURE

विधिक प्रक्रीया
आवाहन क्रमांक
2944.....
30/11/2014.....
दिनांक
प.र.सु.पि. रामचंद्र

DETAILS OF PETITION

1. PARTICULARS OF THE PETITIONERS :-

As above in cause Title .

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश पत्रक

मामला क्रमांक

W.L.No. 1330/

सन् 2004

विरुद्ध

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कायालयीन मामलों में इष्टी रजिस्टर के अन्तिम आदेश
	<p>SB: HON. SHRI N.K. AGARWAL, J. <u>08.10.2013</u></p> <p>None for the petitioner. Shri S.P.Kale, Dy. G.A. for the State/respondent No.1 Shri Janak Ram Verma, counsel for respondent No.2.</p> <p>Since no one appears nor any representation is made on behalf of the petitioner despite the matter is called on for hearing in two rounds, therefore, in the absence of any representation, this Court has no option but to dismiss this petition for want of prosecution.</p> <p>Accordingly, this petition is dismissed for want of prosecution.</p> <p style="text-align: right;">Sd/- N.K. Agarwal Judge</p> 	

गोपनीय दोस्तों

FOR COPYING FEES ONLY

FOR COPYING FEES ONLY

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BILASPUR (C.G.)

W.P. No. 2729/2004

PUBLIC INTEREST LITIGATION

PETITIONER:

P.R. No. 2501/04
Presented by Shri/Agm. M. S. Chhatwal
dated 10/08/2004
Chhattisgarh Vishwavidyalaya
Karmachari Mahasangh, Raipur
Through its President
Manharan Lal Tiwari
Aged about 52 years
S/o Late Ramadheen Tiwari

VERSUS

RESPONDENTS:

1. State of Chhattisgarh through
Secretary,
Department of Education,
D.K.S. Bhavan, Mantralaya
Raipur (Chhattisgarh).


2. Pt. Ravi Shankar Shukla
Vishwavidyalaya
Through Registrar
Raipur (Chhattisgarh)

Chancellor,
Ravishankar Vishwavidyalaya,
Rajbhawan, Raipur (Chhattisgarh)

**PETITION UNDER ARTICLE 226/227 OF THE CONSTITUTION OF INDIA
FOR ISSUANCE OF APPROPRIATE WRITS TO MANDAMUS AND
CERTIORARI AND FOR OTHER SUITABLE WRITS AND DIRECTIONS:-**

1. PARTICULARS OF THE PETITIONER:

As stated above in the cause title.





HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Division Bench: Hon'ble Shri Yatindra Singh, CJ &
Hon'ble Shri Sunil Kumar Sinha, J.

W.P. No. 2729/2004

PETITIONER Chhattisgarh Vishwavidyalaya
Karmachari Mahasangh.

Versus

RESPONDENTS The State of Chhattisgarh and
Others.

(Writ Petition under Article 226/227 of the Constitution of India)

Appearance:


Mr. Jitendra Pali, Advocate for the petitioner.
Mr. A.S. Kachhwaha, Dy. Advocate General for the State.
Mr. J.R. Verma, Advocate for Respondents 2 & 3.




ORDER
Copy ss (07.11.2012)

1. Chhattisgarh Vishwavidyalaya Karmachari Mahasangh (the Petitioner) has filed the present writ petition with the allegations that 30% reservations are applicable for the University and on the basis of the same, the Petitioner has challenged some of the advertisements issued by Pt. Ravi Shankar Shukla Vishwavidyalaya (the University) on the ground that no reservation has been provided.
2. We have heard counsel for the parties.
3. The advertisements which are under challenge in this petition, shows that 30% posts are reserved for women. The University also in its reply has stated that 30% reservation is being provided.
4. The writ petition has no merits. It is dismissed.

Sd/-
Yatindra Singh
Chief Justice

Sd/-
Sunil Kumar Sinha
Judge





28/1/13	(1) Application received on
28/1/13	(2) Applicant told to appear on
28/1/13	(3) Applicant appeared on
	(4) Application (With or without further or correct particulars) sent to record-room
	(5) Application received from record-room with record or without record for further or correct particulars on
	(6) Application given notice for further or correct particulars on
	(7) Applicant given notice for further funds on
	(8) Notice in column (6) or (7) compiled with on
	(9) Copy ready on
28/1/13	(10) Copy delivered or sent on
	(11) Court-fee realised

Copyist
28/1/13

Comptroller
28/1/13

Head Copyist
28/1/13



e

विषय:- पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती के अवसर पर “ स्वर्ण जयंती कर्मचारी कल्याण” योजना संबंधी प्रस्ताव पर विचार करना।

कार्यालयीन ठीप:-

विश्वविद्यालय स्थापना दिनांक 01 मई 1964 के पश्चात 50 वाँ वर्ष में प्रवेश कर चुका है, अतः 01 मई 2013 से 01 मई 2014 स्वर्ण जयंती वर्ष घोषित करते हुए विश्वविद्यालय के द्वारा प्रत्येक विभागों के माध्यम से अकादमिक गतिविधियों जैसे राष्ट्रीय सेमिनार, अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार एवं कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है।

50वाँ वर्ष के पायदान पर विश्वविद्यालय ने अनेक उपलब्धियों हासिल किया है। पूरे छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एकमात्र संस्थान बन चुका है जिसके एलयुमिनी पूरे देश के साथ-साथ विश्व में अपनी सेवाएँ देकर पहचान स्थापित किया है। इस पहचान को स्थापित करने में इस विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में निवासरत् सामाजिक, राजनीतिक, सामाचार पत्र एवं औद्योगिक परिवेश से जुड़े प्रत्येक व्यक्तियों की मार्गदर्शन के साथ विश्वविद्यालय सेवा में जुड़े प्रत्येक शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों का योगदान है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े अनेक शिक्षक, अधिकारी, एवं कर्मचारी सेवानिवृत्त के निकट हैं।

विश्वविद्यालय के विकास तभी संभव है जब प्रत्येक कर्मचारी शारीरिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत हो। आज के परिपेक्ष्य में कोई भी कर्मचारी अस्वस्थ होने पर चिकित्सा व्यय अधिक मैंहगा है जो प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर बना देता है।

इस बीच यदि किसी कर्चमारी को गंभीर बीमारी हो जाती है तो वह सभी दृष्टि से कमजोर होने के साथ टूट जाता है, जिसका दीर्घकालीन प्रभाव परिवार के साथ-साथ अप्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालय के विकास पर पड़ता है। अतः विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण विकास हेतु विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों (शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों) का स्वस्थ्य रहना अनिवार्य है।

विश्वविद्यालय में उच्चशिक्षा के गुणोत्तर विकास हेतु कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए स्वर्ण जयंती के अवसर पर “स्वर्ण जयंती कर्मचारी कल्याण योजना” पर विचार किया जा सकता है, तथा इस योजना के तहत कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी कल्याण हेतु प्रमुख विकल्प कर्मचारियों का चिकित्सा बीमा होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक कर्मचारियों को चिकित्या भत्ते रु 500/- प्रतिमाह प्रदान किया जाता है जिसमें प्रति माह रु. 2,55,500/- एवं एक वर्ष में रु. 3066000/- व्यय होता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को समन्वय समिति के निर्णयनुसार कर्मचारियों को गंभीर बीमारी हेतु शासन के द्वारा निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2013-14 में गंभीर बीमारी के लिए 2 को कर्मचारियों को कुल रु. 185467/- भुगतान किया गया है। इसी प्रकार 3 कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति राशि रु. 52589/- भुगतान किया गया है। (जिन्होंने विकल्प चिकित्सा नहीं भरा है)।

यदि 511 कर्मचारियों का रु. 3,00,000/- का ग्रुप मेडिकल इंसुरेंस कराया जाता है तो विश्वविद्याल को प्रत्येक वर्ष रु. 3833083/- बीमा अंशदान देना होगा। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक कर्मचारी को रु. 300000/- तक अधिकतम् उनकी बीमारी के लिए बीमा नियम के अनुसार चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति मिलेगा। यह योजना मे शामिल कर्मचारियों को प्रदान की किये जाने चिकित्सा भत्ता 500/- प्रतिमाह को भी शामिल करना होगा। अतः प्रत्येक कर्मचारियों को सहमति एवं विकल्प भरना होगा। एक बार विकल्प भरने के बाद परिवर्तन नहीं होगा। अतः इनका लाभ उन्हीं कर्मचारियों मिल सकेगा, जो विकल्प भरेगा।

तीन लाख की बीमा राशि के लिए विश्वविद्यालय को प्रति वर्ष 3833083/- किश्त देना होगा। कर्मचारियों द्वारा विकल्प भरने के बाद सभी कर्मचारी से चिकित्सा भत्ता के रूप में देय राशि रु.

3066000/- एवं शेष राशि रूप 767083/- विश्वविद्यालय को स्वर्ण जयंती कर्मचारी कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदान करना होगा।

इस प्रस्ताव के लागू होने से वर्तमान के कार्यरत सभी कर्मचारियों के विकल्प भरने से कर्मचारियों को देय चिकित्सा भत्ते के अतिरिक्त अधिकतम रु. 767083/- विश्वविद्यालय को वहन करना होगा। जिसका बजट प्रावधान किया जाना होगा।

इस योजना के लागू होने से प्रत्येक कर्मचारी को गंभीर बीमारी होने की स्थिति में रु. 300000/- राशि संबंधित बीमा कम्पनी के माध्यम से भुगतान की जा सकेगी। जिससे विश्वविद्यालय पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ेगा।

माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

स्वर्ण जयंती वर्ष—2013–14

फोन नं. 0771-2262540 ई-मेल registrarprsu@gmail.com

क्रमांक/148 /कु.स./2014

रायपुर, दिनांक 05 फरवरी, 2014

प्रति,

कार्यपालक निदेशक
Power Grid, छत्तीसगढ़ परियोजना,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय:- बालक छात्रावास स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता बाबत।

विषयांतर्गत लेख्य है कि पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना 01 मई 1964 को अधिभाजित मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पं. रविशंकर शुक्ल की स्मृति में आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ के युवाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समुचित अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। अपनी स्थापना काल से लेकर अद्यतन हमारे विश्वविद्यालय ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात् पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के शिक्षण विभागों में अध्यापन किए जाने वाले विभिन्न विषयों की विशेषज्ञता के आधार पर अन्य विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना की गई है। तदुपरात भी हमारा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में अविरल शैक्षणिक वातावरण के उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात् पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना एवं विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। वर्तमान में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अंतर्गत 26 शिक्षण विभाग हैं। विश्वविद्यालय के संपूर्ण शिक्षण विभागों में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 2000 है। इन शिक्षण विभागों में प्रदेश के सुदूर अंचल से विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने प्रवेश लेते हैं। इसके साथ-साथ देश के अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी हमारे विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में प्रतिवर्ष प्रवेश प्राप्त करते हैं।

विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में प्रवेशित विद्यार्थी/शोधार्थियों के आवास आदि की व्यवस्था हेतु विश्वविद्यालय परिसर में 02 (दो) बालक छात्रावास स्थापित है। जहाँ केवल 125 विद्यार्थियों के लिए आवास की व्यवस्था है। जबकि विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिकांश विद्यार्थियों को शहर में महंगे किराये के आवास में रहना पड़ता है।

अनुरोध है कि विषयांकित योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर में आवश्यक मूलभूत सुविधायुक्त 2000 स्क्वायर मीटर पर 120 छात्रों के लिए 40 कमरे (प्रत्येक कमरे में 03 छात्र के लिए) का एक बालक छात्रावास निर्मित किया जावे। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक जमीन उपलब्ध करायी जावेगी। छात्रावास बनने के पश्चात् इसके रख-रखाव आदि की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इस हेतु अनुमानित लागत रुपये 4.00 करोड़ (पी.डब्ल्यू.डी. के वर्तमान दर अनुसार रुपये 18,000/- प्रति स्क्वायर मीटर व अन्य व्यय) होगी। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त परियोजना के लिए किसी भी अन्य संस्थान से वित्तीय सहायता नहीं ली गई है। कृपया वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के बजट में वित्तीय प्रावधान कर मूलभूत सुविधायुक्त एक बालक छात्रावास के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

८८



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

स्वर्ण जयंती वर्ष—2013–14

फोन नं. 0771-2262540 ई-मेल registrarprsu@gmail.com

क्रमांक/ १५५ / कु. स./ 2014

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी, 2014

प्रति,

कार्यपालक निदेशक
Power Grid, छत्तीसगढ़ परियोजना,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय:— बालक छात्रावास स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता बाबत्।

संदर्भ : इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 148 / कु. स./ 2014 दिनांक 05 फरवरी, 2014

महोदय,

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा पॉवर ग्रिड छत्तीसगढ़ परियोजना के अंतर्गत पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में 120 छात्रों के लिए 40 कमरे का एक सर्वसुविधायुक्त बालक छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय सहायक के लिए अनुरोध किया गया था। प्रस्ताव के संबंध में आपके कार्यालय से हुई दूरभाष पर चर्चा के परिप्रेक्ष्य में लेख्य है कि उक्त छात्रावास की स्थापना होने पर छात्रावास का नामकरण पॉवर ग्रिड छत्तीसगढ़ परियोजना के नाम पर करने हेतु विश्वविद्यालय की सहमति है। साथ ही उक्त छात्रावास में प्रवेश हेतु पॉवर ग्रिड परियोजना में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र जो विश्वविद्यालय परिसर संचालित अध्ययनशालाओं में प्रवेशित होने पर प्राथमिकता के साथ छात्रावास में प्रवेश प्रदान की जावेगी।

पुनः अनुरोध है कि विषयांकित योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर में आवश्यक मूलभूत सुविधायुक्त 2000 स्क्वायर मीटर पर 120 छात्रों के लिए 40 कमरे (प्रत्येक कमरे में 03 छात्र के लिए) का एक बालक छात्रावास निर्मित किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही अतिशीघ्र किया जावे। ताकि मूलभूत सुविधायुक्त एक बालक छात्रावास का निर्माण पॉवर ग्रिड छत्तीसगढ़ परियोजना के वित्तीय सहायता से अतिशीघ्र प्रारंभ किया जा सके।

सादर,

Om

कुलसचिव



यं यतिथांक्ष शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर (छग)

50

क्रमांक: 13476/अका./का.प./2014

रायपुर, दिनांक: 25/02/2014

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शुक्रवार, दिनांक 14.02.2014 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. प्रो. ए.के. गुप्ता	—	सदस्य
3. प्रो. (श्रीमती) अमिता सहगल	—	सदस्य
4. प्रो. सी.एल. पटेल	—	सदस्य
5. प्रो. बी.के. शर्मा	—	सदस्य
6. प्रो. मिताश्री मित्रा	—	सदस्य
7. प्रो. अंजनी कुमार शुक्ल	—	सदस्य
8. डॉ. एम.आई. मेमन	—	सदस्य
9. श्री एस.के. चक्रवर्ती	—	सदस्य
10. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 17.12.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
- निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17.12.2013 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।
02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 17.12.2013 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
- निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 17.12.2013 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।
03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.01.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।
- निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.01.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
04. छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रु. 9,24,550.00 भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।
- निर्णय : छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तरपुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रुपए 9,24,550.00 (रुपए नौ लाख चौबीस हजार पाँच सौ पचास मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।
05. सत्र 2009–10 में मुद्रित कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण की बचत राशि रु. 6,58,660.00 के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : सत्र 2009–10 में मुद्रित कोरी उत्तरपुस्तिका का मुद्रण का शेष देयक राशि रुपए 6,58,660.00 (रुपए छह लाख अठावन हजार छह सौ साठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

06. विश्वविद्यालय स्थापना के 50वीं वर्षगांठ पर विश्वविद्यालय के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों को प्रदाय किये जाने हेतु स्मृति चिन्ह के स्वरूप का निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय की स्थापना के 50वीं वर्षगांठ पर विश्वविद्यालय में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने संबंधी समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई।

07. वाहन चालकों को मोबाइल भत्ता प्रदाय करने के संबंध में राज्य शासन के आदेश क्रमांक 275/एफ-2013-02-00144/वित्त/नियम/चार रायपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2013 को अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : वाहन चालकों को मोबाइल भत्ता प्रदान करने के संबंध में राज्य शासन के आदेश क्रमांक 275/एफ-2013-02-00144/वित्त/नियम/चार रायपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2013 को अंगीकृत किया गया।

08. नोबल पुरस्कार विजेता, प्रो. रॉबर्ट हयूबर की यात्रा देयक एवं व्याख्यान हेतु स्वीकृत राशि रु. 208055=00 का सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. राबर्ट हयूबर की यात्रा देयक एवं व्याख्यान हेतु प्रस्तावित देय राशि रुपए 208055.00 (रुपए दो लाख आठ हजार पचपन मात्र) की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

09. विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क के वार्षिक रख-रखाव हेतु मेसर्स Key Computers Nagpur को कार्यादेश जारी के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क के वार्षिक रख-रखाव हेतु मेसर्स, Key Computers Nagpur को DPC/CPC की अनुशंसा अनुसार एक वर्ष के लिए अनुबंध करने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विभाग, नेटवर्क सही नहीं चलने पर रिकार्ड संधारित करेंगे और उनके द्वारा सूचना देने पर संबंधित संस्थान की राशि में कटौती करके भुगतान की जावेगी। इसकी जानकारी अनुबंध में भी शामिल किया जाय।

10. भिलाई मैत्री महाविद्यालय, रिसाली सेक्टर, भिलाई, जिला-दुर्ग में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : भिलाई मैत्री महाविद्यालय रिसाली सेक्टर, भिलाई, जिला दुर्ग में प्राचार्य के पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा संबंधी बंद लिफाफा खोला गया, जिसमें कोई भी आवेदक उपयुक्त नहीं पाया गया।

पूरक सूची :

01. विश्वविद्यालय के 49वाँ वार्षिक प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार करना।
- निर्णय :** विश्वविद्यालय के 49वाँ वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।
02. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 06.02.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।
- निर्णय :** विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 06.02.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
03. मुख्य परीक्षा 2014 के लिये परीक्षा केन्द्रों को केन्द्र अग्रिम प्रथम किश्त की राशि 1,21,40,000/- (रुपये एक करोड़ इक्कीस लाख चालीस हजार) भुगतान की स्वीकृति हेतु विचार करना।
- निर्णय :** मुख्य परीक्षा 2014 के लिए परीक्षा केन्द्रों को केन्द्र अग्रिम की प्रथम किश्त की राशि 1,21,40,000.00 (रुपए एक करोड़ इक्कीस लाख चालीस हजार मात्र) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी संदर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन महाविद्यालयों द्वारा पूर्व अग्रिम का हिसाब जमा नहीं किया है, उन से 15 दिवस के अंदर हिसाब जमा करने हेतु निर्देशित किया जावे। इसी प्रकार जिन शासकीय महाविद्यालयों ने हिसाब प्रस्तुत नहीं किया है, उसके संबंध में प्राचार्य को पत्र लिखते हुए इसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय को दी जावे।
04. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.02.2014 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।
- निर्णय :** भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 07.02.2014 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित कार्य डिपाजिट के अंतर्गत कार्य प्रारम्भ करने हेतु लोक निर्माण विभाग को कुल लागत राशि का 33% भुगतान किया जावे।
05. डॉ. इन्दु अनंत, तत्कालीन, कुलसचिव के पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स राशि 7,64,270.00 के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
- निर्णय :** डॉ. इंदु अनंत, तत्कालीन कुलसचिव के पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स राशि रुपए 7,64,270.00 (रुपए सात लाख चौसठ हजार दो सौ सत्तार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।
06. 56 विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ अग्रिम चंदा राशि रु. 2589627/- के भुगतान करने पर विचार करना।
- निर्णय :** 56 विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ अग्रिम चंदा राशि रुपए 25,89,627.00 (रुपए पच्चीस लाख नवासी हजार छह सौ सत्ताईस मात्र) के भुगतान करने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

07. विश्वविद्यालय के 18 प्राध्यापकों एवं 08 सहायक प्राध्यापकों के कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण तिथि से एरियर्स का भुगतान की राशि 2673636.00 स्वीकृत किए जाने के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : विश्वविद्यालय के 18 प्राध्यापकों एवं 08 सहायक प्राध्यापकों के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एरियर्स की राशि रुपए 26,73,636.00 (रुपए छब्बीस लाख तिहत्तर हजार छह सौ छत्तीस मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई।
08. छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रु. 76,64,800.00 भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तरपुस्तिका मुद्रण कराने का देयक राशि रुपए 76,64,800.00 (रुपए छिहत्तर लाख चौसठ हजार आठ सौ मात्र) के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
09. कु. सुषमा जैसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, कम्प्युटर विज्ञान अध्ययनशाला को पूर्व में स्वीकृत धारणाधिकार दिनांक 02.02.2014 को समाप्त होने के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.02.2014 के संदर्भ में विचार करना।
- निर्णय : कु. सुषमा जैसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, कम्प्युटर विज्ञान अध्ययनशाला को पूर्व में स्वीकृत धारणाधिकार दिनांक 02.02.2014 को समाप्त होने के फलस्वरूप इसी निरंतरता में अंतिम रूप से एक वर्ष के लिए धारणाधिकार वृद्धि करने का अनुमोदन किया गया।
10. अंकेक्षण प्रतिवेदन 2008–09 अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन पर विचार करना।
- निर्णय : अंकेक्षण प्रतिवेदन 2008–09 के अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुमोदन किया गया।
11. वर्ष 2004 से 2009 के मध्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त 33 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा ग्रंथपाल एवं सहायक संचालक के स्थायी करण के संबंध में विचार करना।
- निर्णय : वर्ष 2004–09 के मध्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा ग्रंथपाल एवं सहायक संचालक के स्थायीकरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक प्रकरणों में समस्त पहलुओं पर परीक्षण कर नियमानुसार स्थायीकरण की कार्यवाही किया जावे।
12. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती के अवसर पर “स्वर्ण जयंती कर्मचारी कल्याण योजना” संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत।
- निर्णय : पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती के अवसर “स्वर्ण जयंती कर्मचारी कल्याण योजना के अंतर्गत चिकित्सा बीमा योजना संबंधी प्रस्ताव का सिद्धांततः अनुमोदन किया गया तथा इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि इस संबंध में बीमा कंपनियों से benefit के संबंध में जानकारी एकत्रित कर आगामी कार्यवाही किया जावे।



13. के.डी. रुंगटा कालेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीरसावरकर नगर, अटारी, रायपुर में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : के.डी. रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीर सावरकर नगर, अटारी, रायपुर में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा अनुसार डॉ. रेखा जाधव के नाम का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण :

- विश्वविद्यालय परिसर में पुरुष छात्रावास के निर्माण के लिए पावर ग्रिड छत्तीसगढ़ परियोजना, द्वारा मौखिक सहमति के उपरान्त उन्हें विश्वविद्यालय से प्रेषित पत्र क्रमांक 148/कु.स./2014 दिनांक 05 फरवरी, 2014 एवं पत्र क्रमांक 155/कु.स./2014 दिनांक 14 फरवरी, 2014 के संबंध में जानकारी दी गई। इसके साथ सभी सदस्यों को जानकारी दी गई कि संबंधित संस्थान ने छात्रावास का नाम "पावर ग्रिड" रखना चाहता है एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में पढ़ने वाल पावर ग्रिड के कर्मचारियों के बच्चों को प्रार्थनिय मुद्रण के लिए मुद्रक की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
- वर्ष 2014 के परीक्षा के लिए गोपनीय मुद्रण के लिए मुद्रक की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
- विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 12 मार्च से तीन पालियों में 120 केन्द्रों पर संचालित होने की जानकारी दी गई। वार्षिक परीक्षाएं 12 मार्च से प्रारंभ होकर 15 मई तक संपन्न होगी।
- विश्वविद्यालय परिसर में जलस्तर की वृद्धि के लिए तालाब निर्माण किया जावे।
- कार्यपरिषद के नवनियुक्त सदस्य डॉ. अमिता सहगल एवं डॉ. सी.एल. पटेल का कार्यपरिषद की ओर से कुलसचिव जी ने गुलदस्ता भेटकर स्वागत किया एवं निवृत्तमान कार्यपरिषद सदस्य डॉ. दीपक कारकून एवं डॉ. अरविंद गिरोलकर को कार्यपरिषद सदस्य के रूप में उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।



कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 13477/अका. /का.प. /2014

रायपुर, दिनांक : २५/०२/२०१४

प्रतिलिपि :-

- माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
- कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
- जनसम्पर्क अधिकारी/अधिकारी, छात्र कल्याण,
- वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उप कुलसचिव (अकाश)

(पंजीयन क्रमांक 1828)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ रायपुर (छ.ग.)
श्रवण सिंह ठाकुर प्रदीप कुमार मिश्रा
अध्यक्ष सचिव
मो.नं. 9826182738 मो.नं.9753017501

क्रमांक 395 / क.सं. / 2014

रायपुर, दिनांक 07.02.2014

प्रति,

माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष,
कार्यपरिषद्,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)।

द्वारा : कुलसचिव / सचिव, माननीय कार्यपरिषद्,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।

विषय : विश्वविद्यालय स्थापना दिवस की 50 वीं वर्षगांठ – स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष में
विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को स्मृति स्वरूप दो वेतनवृद्धि प्रदान करने बाबत् ।

संदर्भ : संघ का पत्र क्रमांक 342 / क.सं. / 2013 रायपुर, दिनांक 20.05.2013

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि संघ द्वारा पूर्व में संदर्भित पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय स्थापना दिवस की 50 वीं वर्षगांठ – स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष में वि.वि. के कर्मचारियों को दो वेतनवृद्धि एवं स्मृति स्वरूप कलाई घड़ी की भाँग की गई थी एवं इसकी जानकारी माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर को भी दी गई थी । इस संबंध में राजभवन ने उक्त पत्र को प्रेषित कर उचित कार्यवाही कर आवेदकों को सूचित करने निर्देश दिया गया था, इस पर वि.वि. प्रशा. द्वारा कौन सी कार्यवाही की गई, संघ को कोई जानकारी आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया राजभवन के पत्र क्रमांक एफ. 14-3/2013/रास/यू-1 रायपुर, दिनांक 04/07/2013 के क्रम संख्या 09. 4792 / 29.05.13 का अवलोकन करना चाहें । (पत्र संलग्न है)

संघ द्वारा आपके मुख्य आतिथ्य में आयोजित नव-वर्ष मिलन समारोह (दिनांक 09.01.2014) में संघ ने आपको कर्मचारी भावनाओं से अवगत कराते हुए उक्त विषय को माननीय कार्यपरिषद में रखकर सकारात्मक निर्णय कराने पुनः अनुरोध किया गया था । आपने भी अपने उद्बोधन में कोई स्मृति चिन्ह दिये जाने पर विचार व्यक्त करते हुए आश्वासन दिये थे, लेकिन वेतनवृद्धि के संबंध में कोई नियम (अथवा उदाहरण स्वरूप किसी संस्था का नाम, जहां वेतन वृद्धि प्रदान किया हो) नहीं होने के कारण असमर्थता व्यक्त किये थे ।

संघ ने अपने स्तर पर ऐसे संस्था का पता लगाया है, जो इस प्रकार के जयंती वर्ष में अपने संस्था में नियमित पद पर कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 01 मई, 2013 से दो विशेष

वेतनवृद्धि प्रदान करने की स्वीकृति दी है। उस संस्था का नाम कार्यालय, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर (छ.ग.) है। उनके द्वारा जारी आदेश क्रमांक /स्थापना/वेतन प्रभाग/2013 – 14/528 रायपुर, दिनांक 03 मई, 2013 का अवलोकन करना चाहें। इस संस्था ने अपने 95 अधिकारी/कर्मचारियों को उक्त लाभ प्रदान किया है। आदेश की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर में स्वर्ण जयंती वर्ष होने के कारण राष्ट्रीय सेमीनार, गोष्ठी, व्याख्यान, सांस्कृतिक एवं अन्य विविध प्रकार के कार्यक्रमों का लगातार आयोजन हो रहे हैं। जिसमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान, वैज्ञानिक, धर्मगुरु एवं शिक्षाविदों द्वारा विविध क्षेत्रों/विषयों पर दिये गये संबोधन से समूचे विश्वविद्यालय में एक नई सोच के साथ खुशहाली का माहौल निर्मित हुआ है। वि.वि. के हर वर्ग के कर्मचारी पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से वर्ष भर के कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपने-अपने स्तर पर योगदान दे रहे हैं। संघ के पदाधिकारी भी कर्मचारी मांगों को भूलकर वि.वि. हित में शांतिपूर्वक स्वच्छ मन से अपने अपने आबंटित कार्यों को संपादित कर रहे हैं, जिससे हमारे विश्वविद्यालय के स्वर्णिम वर्ष को विशेष यादगार वर्ष के रूप में जाना जा सके।

महोदय, शासन के नियमों के अलावा हर स्वशासी /अर्धशासकीय संस्थाओं के अपने-अपने और भी नियम होते हैं, जिसके तहत संस्था अपनी समिति के माध्यम से किसी भी विषय पर निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं। इसी रूप में विश्वविद्यालय का कार्यपरिषद स्वयं सक्षम प्राधिकारी है।

अतः संघ का आपसे पुनः अनुरोध है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत निवेदन को माननीय कार्यपरिषद में रखकर सकारात्मक निर्णय कराने की कृपा करें।

सादर।

संलग्न : उपरोक्तानुसार सहपत्र : 03

अध्यक्ष 07/02/2014

मवदीय
प्रभाग
सचिव 07/02/2014

प्रतिलिपि :

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. माननीय मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्री निवास, छ.ग. शासन, रायपुर।
3. माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, (निवास) छ.ग. शासन, रायपुर।
4. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, छ.ग. शासन, नया रायपुर।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, छ.ग. शासन, नया रायपुर।
6. माननीय कार्यपरिषद के समस्त सदस्य, पं. र० शु० वि०वि०, रायपुर।

को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन के साथ।

प्रभाग
सचिव

क्रमांक / 342 / क. संघ / 2013

श्रवण सिंह ठाकुर
अध्यक्ष

मो. 98261-82738

प्रदीप कुमार मिश्र

सचिव

मो. 97530-17501

रायपुर, दिनांक 20.05.2013

प्रति,

मान. कुलपति जी,
प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

द्वारा :— कुलसचिव, प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।

विषय :— विश्वविद्यालय स्थापना दिवस की 50वीं वर्षगांठ-स्वर्णजयंती के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को दो वेतनवृद्धि प्रदान करते हुए कलाई घड़ी स्मृति स्वरूप प्रदान करने बाबत।

महोदय,

सादर विदित हो कि 01 मई 2013 को विश्वविद्यालय का स्थापना की 50वीं वर्षगांठ-स्वर्णजयंती वर्ष (1 मई 2013 से 1 मई 2014 तक) वर्षभर मनाने की घोषणा की गई जिसमें वर्षभर व्याख्यान माला/वाद विवाद/सेमिनार/खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाना है।

उक्त कार्यक्रम आदि के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय शासन स्तर पर विशेष अनुदान मांग करते हुए अपने बजट में उसका प्रावधान रखते हुए कार्यक्रम करने की घोषणा स्थापना दिवस में मा. कुलपति जी द्वारा की गई।

विश्वविद्यालय की इस स्वमेय सार्थक पहल का कर्मचारी संघ रवागत करता है। विश्वविद्यालय द्वारा स्वर्णजयंती कार्यक्रम वर्षभर मनाने का हरसंभव प्रयास/कार्यक्रम में कर्मचारी संघ सदैव साथ है।

इस ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती के अवसर में आम कर्मचारियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी संघ आपसे निम्नानुसार मांग करता है—

1. छत्तीसगढ़ प्रदेश के सबसे पुराने विश्वविद्यालय की 50वीं वर्षगांठ-स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में समस्त कर्मचारियों को इस खुशनुमा माहौल में दो वेतनवृद्धि प्रदान किया जाय जिससे कर्मचारियों में एक नई उर्जा का संचार होगा एवं साथ ही साथ अपने दायित्व निर्वहन में कर्मचारीगण दुगुने उत्साह में कार्य करेंगे।
2. इसके अलावा कर्मचारी संघ यह भी मांग करता है कि विश्वविद्यालय की इस 50वीं स्थापना दिवस जो कि स्वर्ण जयंती के रूप में मनाई जा रही है इस सुखद/यादगार भौके पर समस्त कर्मचारियों को स्मृति स्वरूप कलाई घड़ी (रिस्ट वॉच) (जो कि प्रसिद्ध कम्पनी टाइटन/एच.एम.टी. की हो) प्रदान किया जाए।


उक्त घड़ी में विश्वविद्यालय द्वारा पारित स्वर्ण जयंती वर्ष का लोगो पर विश्वविद्यालय का नामों का समावेश कर स्वर्ण जयंती वर्ष लिखकर एवं 01/05/2014 50वीं वर्षगांठ प्रिंट कराकर समस्त कर्मचारियों को प्रदान किया जाय।

जिसके लिए संघ सदैव आपका आभारी रहेगा।

सचिव

प्रतिलिपि :—

मान. राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।



रविवि कर्मी संघ ने 2 वेतन वृद्धि मांगी

रायपुर, 20 मई । नगर उत्साह से सहयोग करता। पर सचादाता। एग्रेशकर शुक्ल कर्मियों की भावना है यथा है। विश्वविद्यालय की 50 वर्षीय उभयांठ यात्रा संघ जयंती बर्ष के अवसर कर्मियों के 2 वेतन वृद्धि में जलाई घड़ी की मांग की।

सिंह ठाकुर एवं प्रदीप कुमार मिश्र ने जयंती में यात्रा के बाहर के उत्साह की यात्रा स्थापना करने के लिए संघ कर्मियों द्वारा 2 वेतन वृद्धि दी जाए। यह आधिक उत्साह है। यात्रा कहा। इससे उत्तम उत्तरों की संचार है। विविध शासक राज्य शासन होगा। वे यात्रा स्थापना के काय में पर उत्तम संधर्म एवं विशेष कार्यों के लिए उत्तरों के लिए अद्यतन की यात्रा की। यात्रा को सुखद बनाने एक अत्यन्त लोकप्रिय यात्रा है। यात्रा को सुखद बनाने एक अत्यन्त लोकप्रिय यात्रा है। यात्रा को सुखद बनाने एक अत्यन्त लोकप्रिय यात्रा है। यात्रा को सुखद बनाने एक अत्यन्त लोकप्रिय यात्रा है।

रविवि संघ

जयंती बर्ष

“अमृत संदेश” २१/०५/२०१३

दो वेतन वृद्धि की मांग

रविवि कर्मचारी संघ ने
सौपा ज्ञापन

रायपुर (स्थानीय प्रतिनिधि), पं. राविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में दो वेतन वृद्धि एवं स्मृति स्वरूप कलाई घड़ी प्रदान करने की मांग की है। संघ द्वारा इस आशय का ज्ञापन कुलपति एवं कुलसचिव का

सौपा गया है।

कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ग्रन्थि सिंह ठाकुर एवं प्रदीप कुमार मिश्र ने बताया कि विश्वविद्यालय स्थापना की 50 वर्षीय उभयांठ पर बर्ष भर कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इस प्रेरितासिक स्वर्ण जयंती के अवसर प्रदीप कर्मचारीयों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस खुशनुमा मौहूल में

दो वेतनवृद्धि प्रदान की जाय। इससे कर्मचारियों में नई ऊर्जा का संचार होगा तथा कर्मचारीण द्वारा उत्साह के साथ काम करेंगे।

संघ ने द्विसाला मांग स्पृति स्वरूप कलाई घड़ी देने की है। कर्मचारी स्वर्ण जयंती लोगों वाली घड़ी की एक यादगार के रूप में रखेंगे। संघ ने मांग पत्र की प्रति ग्रन्थभवन सचिवालय को भी भेजी है।

“नवभारत”

मि. २१/०५/२०१३

रविवि कर्मियों ने मांगी दो वेतनवृद्धि

रायपुर। स्वर्ण जयंती के अवसर पर रविवि के कर्मियों ने विवि प्रशासन से दो वेतनवृद्धि की मांग की है। साथ ही इस समय को यादगार बनाने के लिए सभी कर्मियों को एक-एक कलाई घड़ी देने की भी मांग की है। पं. राविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने इस संबंध में कुलपति व कुलसचिव के नाम ज्ञापन सौपा है। संघ के सचिव प्रदीप कुमार मिश्र का कहना है कि विवि की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वर्ण जयंती संमारोह हो रहा है। इस मौके पर सात भर कार्यक्रम होंगे। कर्मचारीयों की भावनाओं को देखते हुए कर्मचारी संघ ने विवि के सामने दो मांगें रखी हैं। सभी कर्मचारीयों को दो वेतनवृद्धि प्रदान की जाए।

“दैनिक भारत”

मि. २१/०५/२०१३

RSU staff demand two increments

Raipur, May 20: Pt Ravishankar Shukla University Employees Association has demanded the university administration to provide two increments to the employees on 50th anniversary (golden jubilee) celebration of the university. The association has also demanded wrist-watches of renowned companies like Titan and HMT as mementoes to the employees on the occasion. The increments and mementoes would instill enthusiasm in the employees and motivate them to work with spirit, said the association president Shrawan Singh Rajor and secretary Pratip Kumar Mishra. The association submitted a memorandum of the demands to the university vice-chancellor. The university has decided to celebrate 50th anniversary/golden jubilee from May 1, 2013 to May 31, 2014. Lecture sessions, debate seminars, sports and cultural programmes would be organized all through the year under the celebration.

रायपुर (निग्र)। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की 50वर्षीय उभयांठ व स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विवि कर्मचारी संघ ने कुलपति संघ दो वेतनवृद्धि की मांग की है। कर्मचारी संघ ने सोमवार को कुलसचिव के माय्यम से कुलपति को इस संबंध में आवेदन पत्र दिया है। दूसरी मांग सभी कर्मचारियों को मिट्ट चॉच दिए जाने की है, जिसमें विवि द्वारा प्रारित स्वर्ण जयंती वर्ष का लोगों व विवि का माने प्रिट कराकर दिए जाने की मांग की गई है।

जात है कि स्वर्ण जयंती वर्ष में 1 मई 2013 से 11 मई 2014 तक वर्षभर विविध आयोजन होंगे। इसमें व्याजान, सांगोंडी, साकृतिक आयोजन शामिल हैं। इन आयोजनों के लिए विवि ने शासन सरपर विविध अवनमन की मांग और इसका प्रावधान विवि के बजाए करने की धोषणा कुलपति ने स्थापना दिवस समारोह में की थी।

“बई दुनिया” २१/०५/२०१३

“दैनिक भारत”

मि. २१/०५/२०१३

राज्यपाल के अवार सचिव
Under Secretary to Governor



राज भवन, रायपुर
RAJ BHAVAN, RAIPUR
दूरभाष Telephone -
कार्यालय Office : 2331101
निवास Res. :
फैक्स Fax : 2331104

क्रमांक एफ.14-3 / 2013 / रास / यू-1
प्रति,

रायपुर, दिनांक / 07 / 2013

कुलपति,
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर।

विषय:- माननीय राज्यपाल जी को सम्बोधित/पृष्ठांकित प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी को सम्बोधित/पृष्ठांकित आवेदन -पत्र निम्नानुसार मूलतः संलग्न प्रेषित हैं:-

क्रमांक	सचिवालय पंजी क्रमांक	आवेदक का नाम / पता	विषय
1	3852 26.04.2013	श्री श्रवण सिंह ठाकुर, अध्यक्ष, पंडित रविशंकर शुक्ल से उत्कृष्ट कर्मचारियों के संबंध में विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ, जानकारी देने संबंधी।	विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ, जानकारी देने संबंधी।
2	3853 26.04.2013	श्री जी.पी. पुरेना, कक्ष अधिकारी (अका.) पं. र.शु.वि. वि. रायपुर।	चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान लम्बे समय से अप्राप्त होने के संबंधी।
3	3965 30.04.2013	श्री श्रवण सिंह ठाकुर, अध्यक्ष, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ, रायपुर।	कर्मचारी मांगों को अतिशीघ्र पूरा करने संबंधी।
4	4051 02.05.2013	श्री श्रवण सिंह ठाकुर, अध्यक्ष, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ, रायपुर।	सूचना का अधिकार अधिसिक्षा 2005 के तहत 48 घंटे में कोई भी जानकारी नहीं देने पर श्री जे.एल. गंगवानी पर दण्डात्मक कार्यवाही करने संबंधी।
5	4052 02.05.2013	कु0 प्रमिला गायकवाड रोल. नं. 806756 एम.ए. पूर्व	प्रथम पाली में गलत नकल प्रकरण बनाने संबंधी।
6	4200 08.05.2013	श्री श्रवण सिंह ठाकुर, अध्यक्ष, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ, रायपुर	आवेदन पंजीयन क्र. 3156 दिनांक 08.04.2013 की जानकारी 48 घंटे में देने का समय-सीमा समाप्ति उपरांत वांछित जानकारी निःशुल्क दिये जाने संबंधी।
7	4201 08.05.2013	श्री श्रवण सिंह ठाकुर, अध्यक्ष, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ, रायपुर	उत्कृष्ट कर्मचारी को पुरस्कृत नहीं किये जाने की जानकारी देने संबंधी।

1121

8	<u>4717</u> 27.05.2013	श्री ऋषि कुमार शर्मा, सीडब्ल्यूसी ऑफिस के पास, मु.पो. शिवरीनारायण, जिला—जॉजगीर चाम्पा (छोगो)	उचित मूल्यांकन संबंधी ।
9	<u>4792</u> 29.05.2013	श्री श्रवण सिंह ठाकुर, अध्यक्ष, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ रायपुर	विश्वविद्यालय स्थापना दिवस की 50वीं वर्षगांठ स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को दो वेतनवृद्धि प्रदान करते हुए कलाई घड़ी समृति रचरूप प्रदान करने संबंधी ।
10	<u>5089</u> 10.06.2013	पीड़िता अभ्यर्थी ।	पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. में डाटा एण्ट्री आपरेटर पद भर्ती में मिली भगत संबंधी ।
11	<u>5226</u> 14.06.2013	श्री एस.के. साबले, रिटा. जूनियर सुपरिनेंडेंट, पं. रविवि, रायपुर ।	पूरी पेशन एवं ग्रेजुएटी की राशि संबंधी ।
12	<u>5267</u> 14.06.2013	समस्त छात्र छात्राएं M.A. Social Work	अक्सूची में M.A. Social Work के स्थान पर Master of Social Work प्रकाशित हेतु ।
13	<u>5516</u> 24.06.2013	श्री भुवन सिन्हा, शांता विहार कॉलानी, वार्ड-13, चिखलाकसा, पो. दल्ली राजहरा, जिला—बालोद (छोगो)	हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग/ इलाहाबाद द्वारा प्रदत्त उपाधि उत्तमा (साहित्य रत्न) के मान्यता एवं स्तर संबंधी ।
14	<u>5645</u> एवं <u>5676</u> 27.06.2013	बेरोजगार पीड़िता, रायपुर ।	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में निम्न वर्ग लिपिक/डाटा एन्ट्री आपरेटरों के भर्ती में गडबडियों संबंधी ।

2/ निर्देशानुसार निवेदन है कि प्रकरण पर नियमानुसार उचित कार्यवाही
कर आवेदकों को अवगत कराने का कष्ट करें ।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार,

(आर०के० स्वस्तिक)
राज्यपाल के अवर सचिव
छत्तीसगढ़

11311

पृष्ठा क्रमांक एफ.14-3 / 2013 / रास / यू-1 रायपुर, दिनांक 4/07/2013
प्रतिलिपि:-

1.	श्री श्रवण सिंह ठाकुर, अध्यक्ष, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ, रायपुर
2.	श्री जी.पी. पुरेना, कक्ष अधिकारी (अका.) प. र.शु.वि.वि. रायपुर।
3.	श्री ऋषि कुमार शर्मा, सीडब्ल्यूसी ऑफिस के पास, मु.पो. शिवरीनारायण, ज़िला-जॉजगीर चाम्पा (छ0ग0)
4.	श्री भुवन सिन्हा, शांता विहार कॉलोनी, वार्ड-13, चिखलाकसा, पो. दल्ली राजहरा, ज़िला- बालोद (छ0ग0)


(आर0के0 स्वस्तिक)
राज्यपाल के अवर सचिव
 छत्तीसगढ़

कार्यालय जिला सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / स्थापना / वेतन प्रभाग / 2013-14 /

No 528 - ३

रायपुर, दिनांक

13 MAY 2013

आदेश

कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छ.ग. रायपुर के परिपत्र क्रमांक /साख-2/सी.बी./ 2013/ 3014 रायपुर, दिनांक 01 मई 2013 के द्वारा बैंक के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बैंक में नियमित पद पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिनांक 01 मई 2013 से दो विशेष वेतनवृद्धि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। तदानुसार बैंक के निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके वेतनमान के अनुसार दिनांक 01 मई 2013 से दो विशेष वेतनवृद्धि स्वीकृत किया जाकर उनके नाम के समक्ष उल्लेखित वेतन निर्धारित किया जाता है। संबंधितों को वेतनवृद्धि का लाभ विशिष्ट माह के पहले दिन से ही दिया जावेगा।

क्र.	नाम	पद	पदस्थी स्थान	दिनांक 01 जुलाई 12 को / वर्तमान		दिनांक 01 मई 2013 को दो विशेष वेतनवृद्धि स्वीकृति पश्चात निर्धारित	
				वेतन बैंड में वेतन	ग्रेड पे	वेतन बैंड में वेतन	ग्रेड पे
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री एस.पी.चन्द्राकर	अति.प्रबंधक	मु.का.रायपुर	27760	6600	29860	6600
2	श्री किशोर कुमार बाघ	औद्यो.वि.अधिकारी	मु.का.रायपुर	24660	5600	26510	5600
3	श्री सेवकराम हरदेल	अमा.वि.अधिकारी	मु.का.रायपुर	22580	5600	24300	5600
4	श्री भोगनाथ पटेल	अति.मुख्य लेखापाल	मु.का.रायपुर	22580	5600	24300	5600
5	श्री लक्ष्मीनाथ शर्मा	अति.वि.प.अधिकारी	मु.का.रायपुर	22580	5600	24300	5600
6	श्रीमती किरण बाला खलखो	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	15600	4300	16820	4300
7	श्रीमती सुनीता शर्मा	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	16070	4300	17320	4300
8	श्री रुद्रप्रताप सिंह गौर	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	16070	4300	17320	4300
9	श्री देवकुमार व्यास	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	17040	4300	18340	4300
10	श्री जहीर अहमद कुरैशी	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	15210	4300	16410	4300
11	श्री प्रकाश बीवे	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	15210	4300	16410	4300
12	श्रीमती आशा नागरिया	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	14010	4300	15130	4300
13	श्री इन्द्र कुमार ठाकुर	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	14800	4300	15970	4300
14	श्री बालकृष्ण प्रजापति	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	14010	4300	15130	4300
15	श्री देवनारायण झा	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	14040	4300	15160	4300
16	श्री सीताराम शर्मा	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	16730	4300	18010	4300
17	श्री संतराम देवांगन	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	14730	4300	15890	4300
18	श्रीमती संध्या देव	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	13560	4300	14660	4300
19	श्री अनुजराम देवांगन	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	15910	4300	17150	4300
20	श्री सुशील चन्द्र सोनी	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	14730	4300	15890	4300
21	श्री रणछोर सिंह ठाकुर	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	13560	4300	14660	4300
22	श्री युवराज दुबे	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	12450	4300	13480	4300



क्र.	नाम	पद	पदस्थी स्थान	दिनांक 01 जुलाई 12 को / वर्तमान		दिनांक 01 मई 2013 को दो विशेष वेतनवृद्धि स्वीकृति पश्चात निर्धारित	
				वेतन बैंड में वेतन	ग्रेड पं	वेतन बैंड में वेतन	ग्रेड पं
1	2	3	4	5	6	7	8
23	श्री आशीष लाखे	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	11710	4300	12690	4300
24	श्री चिन्ताराम पटेल	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	12880	4300	13940	4300
25	श्रीमती भीना वंजारी	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	11710	4300	12690	4300
26	श्री टी. रामन कुट्टी नायर	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	12600	4300	13640	4300
27	श्री दिलीप कुमार साहू	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	11470	4300	12440	4300
28	श्री दिलीप कुमार शर्मा	शाखा प्रबंधक	मु.का.रायपुर	11990	4300	12990	4300
29	श्री पी.के.खरे	उपयंत्री	मु.का.रायपुर	18170	4200	19550	4200
30	श्री डी.एल.साहू	उपयंत्री	मु.का.रायपुर	17770	4200	19110	4200
31	श्रीमती भारती ध्रुव	का.शा.प्र.	मु.का.रायपुर	13850	3100	14890	3100
32	श्री चन्द्रकांत अम्बोरे	का.शा.प्र.	मु.का.रायपुर	13270	3100	14280	3100
33	कु. सुनीता शर्मा	सहा.लेखापाल	मु.का.रायपुर	11040	3100	11910	3100
34	श्री शरद चन्द्र गांगने	सहा.लेखापाल	मु.का.रायपुर	11710	3100	12620	3100
35	श्री विधान तिवारी	सहा.लेखापाल	मु.का.रायपुर	11180	3100	12060	3100
36	श्री सुनील सिंह ठाकुर	सहा.लेखापाल	मु.का.रायपुर	10350	3100	11180	3100
37	श्री संजय साहू	सहा.लेखापाल	मु.का.रायपुर	10350	3100	11180	3100
38	श्री रामनारायण यादव	सहा.लेखापाल	मु.का.रायपुर	10350	3100	11180	3100
39	श्री नरोत्तम लाल सिन्हा	सहा.लेखापाल	मु.का.रायपुर	12410	3100	13360	3100
40	श्री एन.पी.पटेल	सहा.लेखापाल	मु.का.रायपुर	11050	3100	11920	3100
41	श्री रविन्द्र शर्मा	सहा.लेखापाल	मु.का.रायपुर	9490	3100	10260	3100
42	श्री राजेन्द्र चन्द्रवंशी	सहा.लेखापाल	मु.का.रायपुर	10350	3100	11180	3100
43	श्रीमती नीतू राठौर	सहा.लेखापाल	मु.का.रायपुर	9900	3100	10700	3100
44	श्रीमती किरण बांधे	सहा.लेखापाल	मु.का.रायपुर	9900	3100	10700	3100
45	श्री अनुराग तैलंग	लिपिक	मु.का.रायपुर	9900	2700	10670	2700
46	श्री उत्तरा दास टण्डन	लिपिक	मु.का.रायपुर	9530	2700	10280	2700
47	श्री रामनारायण सिन्हा	लिपिक	मु.का.रायपुर	10670	2700	11500	2700
48	श्री बसंत कुमार यादव	लिपिक	मु.का.रायपुर	9970	2700	10750	2700
49	श्रीमती संजना वर्मा	लिपिक	मु.का.रायपुर	9320	2700	10060	2700
50	श्रीमती शशि दुबे	लिपिक	मु.का.रायपुर	8720	2700	9430	2700
51	श्री संजय शर्मा (नंदकिशोर)	लिपिक	मु.का.रायपुर	9790	2700	10560	2700
52	श्री अहमद खान	लिपिक	मु.का.रायपुर	8500	2700	9190	2700
53	श्री नोहर सिंह वर्मा	लिपिक	मु.का.रायपुर	8770	2700	9480	2700
54	श्री सुरेन्द्र सिंह परिहार	लिपिक	मु.का.रायपुर	7780	2700	8430	2700



क्र.	नाम	पद	पदस्थी स्थान	दिनांक 01 जुलाई 12 को / वर्तमान		दिनांक 01 मई 2013 को दो विशेष वेतनवृद्धि स्वीकृति पश्चात निर्धारित	
				वेतन बैंड में वेतन	ग्रेड पे	वेतन बैंड में वेतन	ग्रेड पे
1	2	3	4	5	6	7	8
55	श्री अरुण कुमार सेन	लिपिक	मु.का.रायपुर	7780	2700	8430	2700
56	श्री घनश्याम वर्मा (चतुरसिंह)	लिपिक	मु.का.रायपुर	7170	2700	7780	2700
57	श्री कमलनारायण साहू	लिपिक	मु.का.रायपुर	6320	2700	6870	2700
58	श्री संजय सोनवानी	लिपिक	मु.का.रायपुर	6320	2700	6870	2700
59	कु. राशिम सिंह	लिपिक	मु.का.रायपुर	6320	2700	6870	2700
60	श्री मुकेश पटेल	का.क.लिपिक	मु.का.रायपुर	8770	1900	9420	1900
61	श्री टकेश्वर प्रसाद निषाद	का.क.लिपिक	मु.का.रायपुर	8150	1900	8770	1900
62	श्री आनंद शर्मा	का.क.लिपिक	मु.का.रायपुर	7970	1900	8580	1900
63	श्री प्रदीप कुमार राजपूत	का.क.लिपिक	मु.का.रायपुर	6910	1900	7460	1900
64	श्री सत्यनारायण तिवारी	वाहन चालक	मु.का.रायपुर	11190	2500	12030	2500
65	श्री साकिर अली	वाहन चालक	मु.का.रायपुर	9890	2500	10660	2500
66	श्री विनय कुमार दास	वाहन चालक	मु.का.रायपुर	8240	2500	8910	2500
67	श्री जुगल किशोर तिवारी	वाहन चालक	मु.का.रायपुर	10550	2500	11360	2500
68	श्री किशोर कुमार ठाकुर	वाहन चालक	मु.का.रायपुर	8600	2500	9290	2500
69	श्री राजू विश्वकर्मा	वाहन चालक	मु.का.रायपुर	9530	2500	10270	2500
70	श्री मुनव्वर खान	वाहन चालक	मु.का.रायपुर	7140	2500	7730	2500
71	श्री श्याम कुमार ध्रुव	वाहन चालक	मु.का.रायपुर	7140	2500	7730	2500
72	श्री श्याम कुमार यदु	वाहन चालक	मु.का.रायपुर	7140	2500	7730	2500
73	श्री गंगाराम धीवर	वाहन चालक	मु.का.रायपुर	7140	2500	7730	2500
74	श्री सरोज कुमार यदु	वाहन चालक	मु.का.रायपुर	7140	2500	7730	2500
75	श्री दिनेश राव मालगे	भृत्य	मु.का.रायपुर	11190	2500	12030	2500
76	श्री शेख अब्बास	भृत्य	मु.का.रायपुर	10960	2500	11790	2500
77	श्री मोहितराम साहू	भृत्य	मु.का.रायपुर	10550	2500	11360	2500
78	श्री लक्ष्मीनारायण सिन्हा	भृत्य	मु.का.रायपुर	11170	2500	12010	2500
79	श्री बसंत यादव (फिरंता)	भृत्य	मु.का.रायपुर	9890	1900	10620	1900
80	श्री कुलेश्वर यादव	भृत्य	मु.का.रायपुर	9680	1900	10390	1900
81	श्री जगतराम निषाद	भृत्य	मु.का.रायपुर	9890	1900	10620	1900
82	श्रीमती शांति बाई यादव	भृत्य	मु.का.रायपुर	9170	1900	9860	1900
83	श्री नक्छेड़ कुमार देवांगन	भृत्य	मु.का.रायपुर	9500	1900	10210	1900
84	श्री वेदराम देवांगन	भृत्य	मु.का.रायपुर	8830	1900	9500	1900
85	श्री इन्द्र कुमार यादव	भृत्य	मु.का.रायपुर	8830	1900	9500	1900
86	श्री गोविन्द लाल यदु	भृत्य	मु.का.रायपुर	8830	1900	9500	1900



क्र.	नाम	पद	पदस्थी स्थान	दिनांक 01 जुलाई 12 को / वर्तमान		दिनांक 01 मई 2013 को दो विशेष वेतनवृद्धि स्वीकृति पश्चात निर्धारित	
				वेतन बैंड में वेतन	ग्रेड पे	वेतन बैंड में वेतन	ग्रेड पे
1	2	3	4	5	6	7	8
87	श्री रूसी महानंद	भूत्य	मु.का.रायपुर	8150	1900	8770	1900
88	श्री अमल कुमार निषाद	भूत्य	मु.का.रायपुर	8150	1900	8770	1900
89	श्री जाकिर अली	भूत्य	मु.का.रायपुर	8300	1900	8930	1900
90	श्री मेहतरु राम यादव	भूत्य	मु.का.रायपुर	8150	1900	8770	1900
91	श्री हरिओम वैष्णव	भूत्य	मु.का.रायपुर	8150	1900	8770	1900
92	श्री चन्द्रकांत वैष्णव	भूत्य	मु.का.रायपुर	8460	1900	9090	1900
93	श्री दीनदयाल शर्मा	भूत्य	मु.का.रायपुर	7460	1900	8030	1900
94	श्रीमती मधु यादव	भूत्य	मु.का.रायपुर	7630	1900	8220	1900
95	श्रीमती पुष्पा साहू	भूत्य	मु.का.रायपुर	6150	1900	6650	1900


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.,
 रायपुर

प्रतिलिपि :—

- उपरोक्त उल्लेखित कमांक 1 से 95 तक के अधिकारियों/ कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- अधीक्षक, स्थापनाकक्ष मुख्य कार्यालय रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- श्रीमती संजना वर्मा, क.लिपिक, वेतन प्रभाग, स्थापनाकक्ष मुख्य कार्यालय रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
संबंधित कर्मचारियों का वेतन देयक माह मई 2013 से उनके नाम के समक्ष उल्लेखित कालम नं० 7 के वेतन बैंड में वेतन एवं कालम नं. 8 के ग्रेड पे के आधार पर तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।
- स्थापनाकक्ष (व्यक्तिगत नस्ती प्रभाग) की ओर 95 अतिरिक्त प्रतियों में संबंधितों के व्यक्तिगत नस्ती हेतु।




 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.,
 रायपुर

(पं. क्र. 1828)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ, रायपुर (छ.ग.)

श्रवण सिंह ठाकुर
अध्यक्ष

फोन नं ० ०७७१-२२२१४००(नि.)
मो. ९८२६१८२७३८

श्री प्रदीप कुमार मिश्रा
सचिव
मो. ९७५३०१७५०१

क्रमांक ३९६ / क.सं. / २०१४

रायपुर, दिनांक १०/०२/२०१४

प्रति,

माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष,
कार्यपरिषद्,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

द्वारा कुलसचिव / सचिव, माननीय कार्यपरिषद्,
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर (छ.ग.)।

विषय : विश्वविद्यालय स्थापना दिवस की ५० वीं वर्षगांठ - स्वर्ण जयंती वर्ष के
उपलक्ष में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को स्मृति स्वरूप दो वेतनवृद्धि प्रदान
करने बाबत।

संदर्भ : कर्मचारी संघ का पत्र क्रमांक ३९५ / क.सं. / २०१४ रायपुर, दिनांक ०७.०२.२०१४।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि संघ द्वारा पूर्व में संदर्भित पत्र सौंपकर विश्वविद्यालय के
कर्मचारियों को स्मृति स्वरूप दो वेतनवृद्धि प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है। इसी तारतम्य में
संघ को पुनः जानकारी प्राप्त हुआ है कि विश्वविद्यालय कार्यपरिषद को विशेष वेतनवृद्धि स्वीकृत
किये जाने का अधिकार है। इस संबंध में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक २ मई, २००१ के (संलग्न)
कार्यवृत्त का अवलोकन करना चाहें। जिसमें तत्कालीन कुलपति माननीय श्री सरजियस मिन्ज
(तत्कालीन कमिश्नर) के कार्यकाल में माननीय कार्यपरिषद द्वारा उक्त विशेष वेतन वृद्धि प्रदान किया
गया था।

तदनुसार आपसे पुनः अनुरोध है कि हमारे निवेदन को माननीय कार्यपरिषद के समक्ष
रखकर सकारात्मक निर्णय कराने की कृपा करें।

भवदीय
पं.०२.०२.२०१४
सचिव

प्रतिलिपि :

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी के सचिव, राजभवन, रायपुर।
- माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सचिव, छ.ग. शासन, रायपुर।
- माननीय उच्च शिक्षा मंत्री(निवास) छ.ग. शासन, रायपुर।
- माननीय प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, रायपुर।
- माननीय प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, छ.ग. शासन, रायपुर।
- माननीय कार्यपरिषद के समस्त सदस्य, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर।
को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

पं.०२.०२.२०१४
सचिव

पं०रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक ५९३ /अका/2001

रायपुर दिनांक ३१-०५/०१

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बुधवार दिनांक २ मई, २००१ को अपराह्न ५.३० बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में आयोजित बैठक की कार्यवृत्त।

उपस्थित सदस्य

१. सर्वश्री सरजियस मिज (आई.ए.एस.) कुलपति	-	अध्यक्ष
२. श्री एस.एस.प्रधान	-	सदस्य
३. डॉ एस.एम.अग्रवाल	-	सदस्य
४. डा.एच.आर.सिंह	-	सदस्य
५. डा.पी.सी.मित्तल	-	सदस्य
६. श्री आई.पी.मिश्रा	-	सदस्य
७. श्री ब्रजेश चन्द्र मिश्र	कुलसचिव	सचिव

विषय क्रमांक १ विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक २७ मार्च, २००१ के कार्यवृत्त की संपुष्टि करना।

निर्णय संपुष्टि की गई।

विषय क्रमांक २ श्री एस०एस०परिहार, व्याख्याता, मानविज्ञान अध्ययनशाला, पं०रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को दिनांक ३० जून, २००१ से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति देने के उसके आवेदन दिनांक १५ मार्च २००१ पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई।

विषय क्रमांक ३ कुलपति द्वारा दी गई विभिन्न वित्तीय मुग्यतानों का अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई।

विषय क्रमांक ४ वार्षिक परीक्षा, २००१ में प्रश्नपत्र रचना कराने के संबंध में

निर्णय सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई।

विषय क्रमांक ५ विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दो जोड़ी वर्दी (पालिस्टर) प्रति वर्ष प्रदाय करने की स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई।

विषय क्रमांक 6

निर्णय पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय शिक्षकों को यूजी०सी० की पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स विश्वविद्यालय के मद से भुगतान करने के शिक्षकों के आवेदन पर विचार करना।

निर्णय

सर्वसम्मति से इस पर चर्चा कर निर्णय लिया गया कि चूंकि राशि शासन के पास प्राप्त हो चुका है अतः इसे प्राप्त करने का प्रयास किया जावे। यदि राशि एक माह में प्राप्त नहीं होता तो शिक्षकों को एरियर्स एक वर्ष का (कुल व्यय लगभग चालीस लाख रुपये) दिया जावे। इस अवधि में यदि कोई शिक्षक सेवानिवृत्त होता है तो विश्वविद्यालय उसे भुगतान करे। साथ ही शासन से यदि एरियर्स तथा उस पर व्याज मिलता है तो शिक्षकों को एरियर्स के साथ व्याज भी दिया जावे।

विषय क्रमांक 7

निर्णय समन्वय समिति की बैठक दिनांक 22.2.2001 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय कर्मचारियों के अंशदायी भविष्य निधि अंतर्गत कर्मचारी अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान उसके वेतन का (मूल वेतन + महगाई भत्ता) बारह प्रतिशत की दर से कठौती/नियोक्ता अंशदान भुगतान माह अप्रैल, 2001 से करने संबंधी दिये आदेश की सूचना ग्रहण करना एवं निम्न तिथियों से बढ़े हुये दर पर कर्मचारियों को नियोक्ता अंशदान अंतर की राशि भुगतान करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय

इस प्रकरण को समन्वय समिति को पुनः इस टीप के साथ भेजा जावे कि राज्य शासन ने (8.3 प्रतिशत की दर से) अनुदान देते समय राशि दी थी। अतः नियोक्ता अंशदान अंतर की राशि का भुगतान राज्य शासन अनुदान के रूप में उपलब्ध करावे क्योंकि विश्वविद्यालय के लिये यह व्यय यहन करना संभव नहीं है।

विषय क्रमांक 8

निर्णय समन्वय समिति की बैठक दिनांक 22.2.2001 में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परिनियम क्रमांक 26 की कंडिका 2 एवं 3 में निम्नानुसार संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णय

सर्वसम्मति से चर्चापरामं निर्णय लिया गया कि कंडिका 2 एवं 3 में प्रस्तावित संशोधन के बिंदु क्रमांक 1 के प्रस्तावित संशोधन को स्वीकृति प्रदान की जाती है और बिंदु क्रमांक 2 के संबंध में समन्वय समिति को एजेण्डा क्रमांक 7 में हुए निर्णय अनुसार समन्वय समिति को पत्र लिखा जावे।

विषय क्रमांक 9

निर्णय विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को पदोन्नति देने के प्रकरण पर विचार करना।

प्रकरण पर गहन चर्चा हुई तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वस्तुतः वर्ष 1995 में 14 कक्ष अधिकारी के सृजित पद तथा 15 कनिष्ठ अधीक्षक पद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत नहीं किये गये थे जिसके कारण आडिट आपत्ति भी हुई है कि इन पदों को वैधानिक स्वीकृति लेनी चाहिये। कार्यपरिषद ने निर्णय लिया कि 1995 के संशोधित पदोन्नति के आदेश के क्रियान्वयन के लिए भी कक्ष अधिकारी और कनिष्ठ अधीक्षक के पदों की स्वीकृति भी आवश्यक है। अतः कर्मचारियों के हित में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन पदों को 1995 से सृजित मानते हुए राज्य शासन को इसकी औपचारिक पुष्टि के लिये अनुरोध किया जावे तथा यह भी उल्लेख कर दिया जावे कि इस स्वीकृति के फलस्वरूप राज्य शासन पर कोई भी वित्तीय भार नहीं आवेगा। कर्मचारियों के पदोन्नति हेतु यह भी निर्णय लिया गया कि डी०पी०सी० का तत्काल गठन कर वर्ष 1995 के पश्चात् के प्रत्येक वर्ष की वरिष्ठता सूची तैयार कर उसका प्रकाशन, रोस्टर के आधार पर स्वीकृत पद, भरे पद और रिक्त पदों का प्रत्येक वर्ष का आंकलन कर हर वर्ष (1995 से लेकर आज तक) आखण नियमों का पालन करते हुए पदोन्नति की कार्यवाही की जावे।

प. र.

कृपया
|| १२८ ||

विषय क्रमांक 10 श्री ए०के०रहटगांवकर, प्रभारी अधिकारी, प्रथम श्रेणी लिपिक, अकाठविभाग को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विश्वविद्यालय के विरुद्ध दायर याचिकाओं के विरुद्ध विश्वविद्यालय का पक्ष से ही रूप में प्रस्तुत करने, उत्तरदायित्वपूर्ण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के फलस्वरूप न्यायालय के आदेश तिथि से एक विशेष वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई।

विषय क्रमांक 11 डा.ओ.पी.व्यास, कम्प्यूटर अध्ययन शाला को सी०आई०सी०सी० जापान के शोध प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 72 दिनों का कर्तव्य अवकाश (दिनांक 4 मई, 2000 से 21 जुलाई 2001) के स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार करना।

निर्णय सर्वसम्मति से अस्वीकृत किया गया।

विषय क्रमांक 12 वर्ष 1999 की मुख्य परीक्षा के पुर्नमूल्यांकन के परिणामों में हुई गड़बड़ियों के संबंध में गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करना।

निर्णय जांच प्रतिवेदन खोला गया। कार्यपरिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जांच प्रतिवेदन की एक प्रति डा.भारद्वाज को प्रेषित कर उन्हें अपना जवाब सात दिन में प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावे।

कार्यपरिषद में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि डा.भारद्वाज का निलंबन समाप्त किया जावे।

विषय क्रमांक 13 मुख्य परीक्षा 2001 के प्रश्न पत्रों की प्राप्ति की सूचना और भुगतान हेतु स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय मुख्य परीक्षा 2001 के समस्त प्रश्नपत्रों की प्राप्ति की सूचना ग्रहण करते हुये देयक भुगतान अनुमति दी गई।

विषय क्रमांक 14 बिल्डिंग कमेटी की बैठक दिनांक 01.5.2001 पर विचार करना।

निर्णय बिल्डिंग कमेटी की बैठक दिनांक 01.05.2001 के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुए निर्णय लिया गया कि मुख्य प्रशासनिक भवन की मरम्मत, मुख्य प्रवेश द्वार से (आमानाका) प्रशासनिक भवन तक सड़क और पैदल पथ का निर्माण और वृक्षारोपण आवश्यक है। अतः बिल्डिंग कमेटी की बैठक दिनांक 01.05.2001 में वर्णित समस्त प्रस्ताव स्वीकृत किये जाते हैं।

(सरजियस मिन्ज)

कुलपति
अध्यक्ष

(ब्रजेश चन्द्र मिश्र)

कुलसचिव
सचिव

पू० क्र० ५.९४/२००१/अका रायपुर, दिनांक ३/५/२००१।

प्रतीक्षिपि-

- 1/ कार्यपरिषद के सदस्यों को
- 2/ राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राज्यसभा, रायपुर,
- 3/ प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च विद्या विभाग, मन्त्रालय, डी०के०स० भवन, रायपुर,
- 4/ तबाहीत विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5/ कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, प०रीष०ज०व०व०, रायपुर

वि०क०अधि०अका। ३०५५०८०९
वि०क०अधि०अका। ३०५५०८०९